ग्रामीण विकास
को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वार्षिक मूल्य : 100 रुपये

वर्ष 55 अंक : 10 | अगस्त 2009 | मूल्य : 10 रुपये

बदलते परिवेश में पंचायतों की भूमिका

अब उपलब्ध है

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ
भारत 2009

**देश के विकास की
विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी के लिए**

मूल्य: 345 रुपये

* अर्थव्यवस्था
* विज्ञान और तकनीक
* सामाजिक विकास
* राजनीति
* शिक्षा
* कला और संस्कृति

अपनी प्रति यहां से खरीदें :

हमारे विक्रय केंद्र • **नई दिल्ली** (फोन 24365610, 24367260) • **दिल्ली** (फोन 23890205) • **कोलकाता** (फोन 22488030) • **नवी मुम्बई** (फोन 27570686) • **चेन्नई** (फोन 24917673) • **तिरुअनंतपुरम** (फोन 2330650) • **हैदराबाद** (फोन 24605383) • **बेंगलूर** (फोन 25537244) • **पटना** (फोन 2683407) • **लखनऊ** (फोन 2325455) • **गोवाहाटी** (फोन 26656090) • **अहमदाबाद** (फोन 26588669)

प्रतियां प्रमुख पुस्तक केन्द्रों में भी उपलब्ध हैं

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
व्यापार व्यवस्थापक प्रकाशन विभाग,
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
फोन. 011–24365610, 24367260, फैक्स: 24365609

ईमेल: dpd@mail.nic.in
dpd@sb.nic.in
वेबसाइट: www.publicationsdivision.nic.in

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

DPD B-11-09/2

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

कुरुक्षेत्र

वर्ष : 55 ★ मासिक अंक ★ पृष्ठ : 48, श्रावण–भाद्रपद 1931, अगस्त 2009

प्रधान संपादक
नीता प्रसाद

वरिष्ठ सम्पादक
कैलाश चन्द मीना

सम्पादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

उत्पादन अधिकारी
जे.के. चन्द्रा

व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516
ई–मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in

आवरण एवं सज्जा
संजीव सिंह और रजनी दवे

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

गांवों को विकास की ओर ले जाती पंचायतें	लोकेश कुमार	3
पंचायती राज में रोजगार की बदलती तस्वीर	डॉ. सुधीश कुमार पटेल	8
आपदा प्रबंधन की नई भूमिका में पंचायत	डॉ. निर्मल कुमार आनंद	13
आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज और स्वयंसेवी संगठन	डॉ. उदयसिंह	17
पंचायतों में महिलाओं की सकारात्मक हिस्सेदारी	रोली शिवहरे	22
आम बजट 2009–10 की मुख्य विशेषताएं		24
पंचायती राज सशक्तिकरण : बाधाएं एवं संभावनाएं	डॉ. सुरेन्द्र कटारिया	29
कृषक समृद्धि को समर्पित किसान क्लब	वीरेंद्र परिहार	34
कम वर्षा में भी ले ग्वार की भरपूर पैदावार	जगपाल सिंह मलिक	37
प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन	डॉ. सुनील कुमार खंडेलवाल	43
ग्राम पंचायत बूढ़वाल की बदली तस्वीर	डॉ. ब्रह्मप्रकाश यादव	46

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

संपादकीय

महात्मा गांधी का विचार था कि जब स्थानीय लोगों की भागीदारी शासन व्यवस्था में होगी तो विकास कार्य सुचारू रूप से होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के पश्चात पंचायतों के पुनर्गठन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। आज ग्रामीण विकास में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही अधिकांश विकास योजनाओं को पंचायत के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसमें वे सभी योजनाएं शामिल हैं जिन्हें केंद्र व राज्य सरकारों की सहायता प्राप्त हो रही है।

राज्यों में पंचायत व्यवस्था को लेकर पर्याप्त भिन्नता मौजूद रही है। किंतु 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के नए युग की शुरूआत की गई जिसके अंतर्गत शक्तियां और जिम्मेदारियां दोनों ही तीनों स्तरों पर चुनी पंचायतों को सौंपी गई। इस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण 29 विषय पंचायतों को सौंपने का निर्णय लिया गया। पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही नहीं ग्रामीण महिलाएं, जो अब तक उपेक्षित रहने को मजबूर थी, 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें केवल सदस्य के रूप में ही नहीं वरन् पंचायत के मुखिया के रूप में चुने जाने का अवसर प्रदान किया है। इस संशोधन से ठहरे हुए ग्रामीण समाज में बदलाव आया है और धीरे–धीरे पंचायतें ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बनती जा रही हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि 73वें संशोधन के बाद पंचायतें मजबूती से उभर कर सामने आई हैं और अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दे रही हैं। इसके बावजूद पंचायतों की भूमिका को सफल बनाने के लिए इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण तो किया गया है लेकिन सर्वेक्षण और अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि महिलाओं को अभी इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। वे बैठकों में उपस्थित नहीं होती और बैठक में लिए गए निर्णयों पर अंगूठा लगा देती हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी आम है। यही नहीं कई जगह स्थानीय पंचायतों के फैसले बेहद अमानवीय और रूढ़िवादी रूप में सामने आए हैं।

सरकार को चाहिए कि वे इस तरह के फैसलों के प्रति सजग रहे और साथ ही दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना बेहद जरूरी है। पंचायतों को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। चूंकि ग्रामीण विकास के अधिकतर कामों का जिम्मा अब पंचायतों के कंधों पर है इसीलिए इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रहे लोगों की क्षमताओं को बढ़ाया जाना भी जरूरी है ताकि वह अपने उत्तरदायित्वों का सही तरीके से पालन कर सकें।

तमाम कमियों के बावजूद पंचायती व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर विकास के बहुत सारे कार्य किए गए हैं। आज पंचायतों के माध्यम से अनेक कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के माध्यम से पंचायत को कार्य करने का अवसर तो प्राप्त हो ही रहा है, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है जिससे उनके जीवन–स्तर में सुधार आ रहा है। उम्मीद है कि निकट भविष्य में पंचायती राज व्यवस्था की खामियां दूर होंगी और वह सुचारू रूप से गांव के विकास कार्यों को अंजाम देंगी।

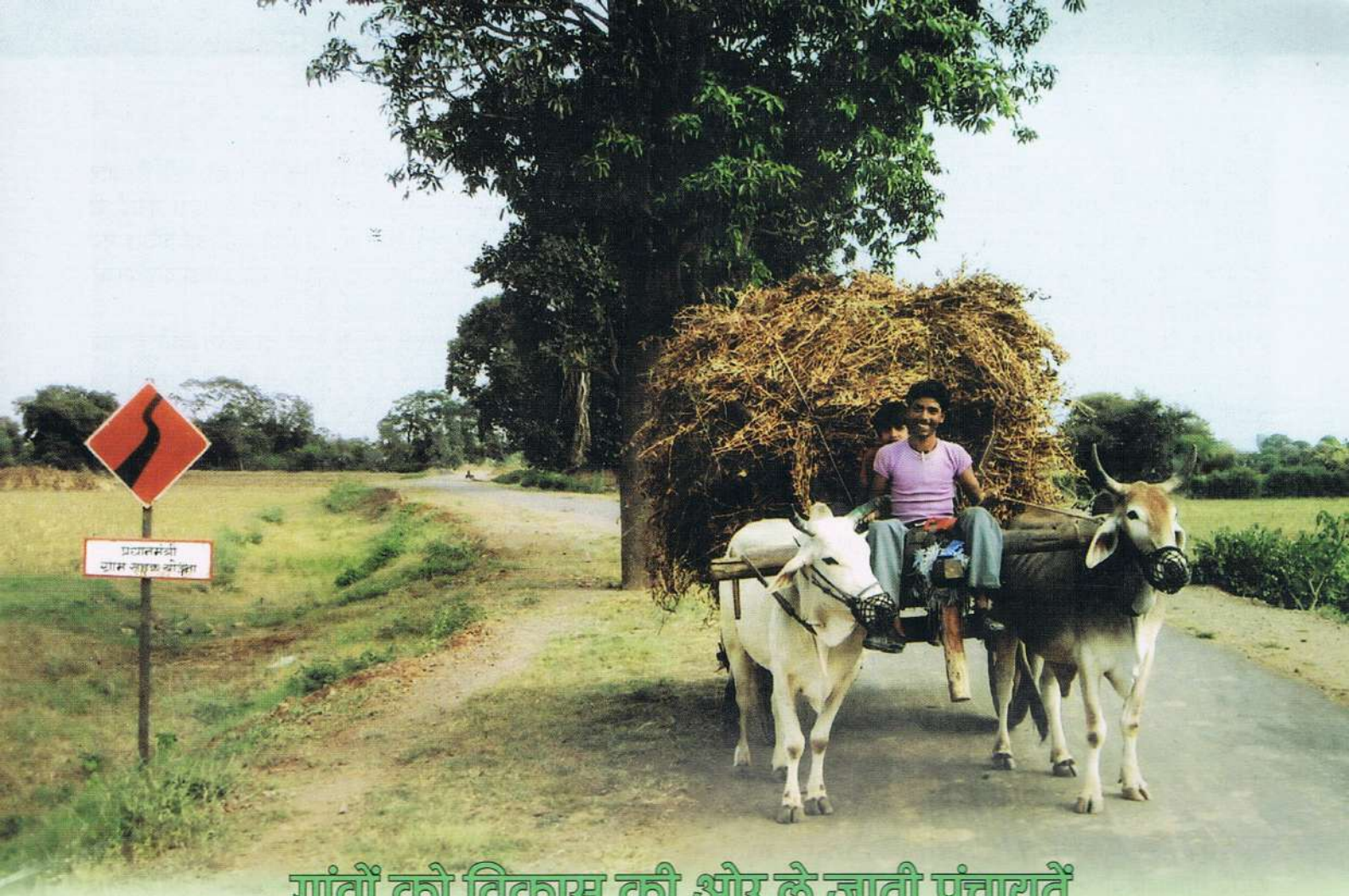

गांवों को विकास की ओर ले जाती पंचायतें

लोकेश कुमार

ग्राम पंचायतों के जरिए गांवों के हालात बदलने का सपना महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी ने भी देखा था और अब राहुल गांधी भी देख रहे हैं। केन्द्र सरकार ने गांवों की दशा सुधारने के लिए 'भारत निर्माण' के नाम से एक विशाल योजना शुरू की है जो सिंचाई, सड़क, आवास निर्माण, विद्युतीकरण और दूरसंचार के जरिए ग्रामीण आधारभूत संरचना खड़ी करने के लिए एक समयबद्ध योजना साबित होगी। अगर यह योजना ठीक से अपना दायित्व निभाती है तो गांवों की दशा निश्चित ही बदल सकती है।

प्रायः पंचायतों की भूमिका अब तक संकुचित अर्थ में ली जाती रही है कि पंचायत का कार्य मात्र आपसी झगड़ों को निपटाना और दोषी व्यक्ति को दण्डित करना है। इस अर्थ के प्रसार में मीडिया अथवा सिनेमा जैसे मनोरंजन के साधनों की भूमिका भी कम नकारात्मक नहीं रही है जहां ताकतवर व्यक्ति पंचायत में अपने पक्ष में निर्णय करा लेता है और गरीब एवं कमजोर पक्ष पंचों के निर्णय को परमेश्वर का निर्णय मानने को बाध्य हो जाता है।

आज के प्रगतिशील एवं प्रतिस्पर्धी युग में पंचायत से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह अथवा संस्था से है जो परमेश्वर स्वरूप न होकर आम लोगों में से चुने गए प्रतिनिधि हैं और जिनकी सोच तथा भूमिका ऐसे प्रत्येक कार्य से जुड़ी हुई है जो गांव को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ दें। आज सामान्यतः पंचायतों के लिए जो कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं उनमें आर्थिक विकास एवं न्याय से सम्बन्धित योजनाओं को तैयार करना, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं का क्रियान्वयन, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, शिक्षा, महिला तथा बाल विकास आदि शामिल हैं। किन्तु पंचायत की भूमिका को और अधिक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि पंचायत में चुने गए नुमाइन्दे ही नहीं अपितु गांव का प्रत्येक व्यक्ति विकास को अपना कर्तव्य एवं दायित्व समझे और गांव किसी भी मायने में शहर से कम न हों।

साम्प्रदायिक एवं सद्भाव की स्थापना – जिस स्थान पर शान्ति और भाईचारा विद्यमान होगा, वहां सारे निर्णय परस्पर विचार–विमर्श के माध्यम से बिना किसी विरोध के क्रियान्वित किए जा सकते हैं। जातिगत एवं साम्प्रदायिक आधार पर विभक्त गांव कभी प्रगति नहीं कर सकता क्योंकि गांव का प्रत्येक व्यक्ति सभी योजनाओं को शंका की दृष्टि से देखने लगता है। वहां हमेशा यही सोच बनी रहती है कि सुविधाओं और विकास योजनाओं के वितरण में पक्षपात किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप गांव में झगड़े पैदा हो जाते हैं और प्रत्येक योजना का विरोध होना आरंभ हो जाता है जिससे गांव की प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए पंचायत को सर्वप्रथम गांव में ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे सभी लोग गांव के विकास के लिए मिलजुलकर काम करें और गांव के प्रत्येक निवासी को लगे कि गांव के जिस कोने में विकास हो रहा है, उसमें मेरा हित है और गांव में जो योजना चलाई जा रही है, वह मेरे गांव का विकास सुनिश्चित करेगी। ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए पंचायत को चाहिए कि गांव के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक कोने से ऐसे सदस्यों के सम्पर्क में रहे जिस पर गांव के निवासियों को विश्वास हो।

बुनियादी विकास – जिस गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव नहीं होगा, उसमें विकास की धारा स्वयंमेव प्रवाहित होने लगती है। इसके लिए पंचायतों को स्कूलों का निर्माण एवं स्कूलों में शैक्षिक गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण, पानी एवं बिजली की व्यवस्था, चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना, शौचालयों और सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण और परिवहन व्यवस्था पर बल देना चाहिए ताकि गांवों के निवासियों को अभावों के लिए संघर्ष न करना पड़े।

सामाजिक कुरीतियों का निर्मूलन – ग्रामीण समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां विद्यमान हैं जिनके कारण वहां के निवासी हमेशा आर्थिक दृष्टि से कमजोर बने रहते हैं। यहां तक कि इन कुरीतियों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने अथवा कृषि, भूमि, घर या आभूषणों तक को गिरवी रख देते हैं। ऐसी स्थिति में वे न तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाते हैं और न ही उन्हें पोषक आहार दे पाते हैं। ऐसी कुरीतियों में दहेज और मृत्यु भोज प्रमुख हैं। राजधानी दिल्ली के कुछ गांवों और सिखों की धार्मिक संस्था के अनुसार कोई न दहेज लेगा, न–देगा, शादी रात में नहीं होगी और बैण्ड–बाजा नहीं बजेगा। यदि इस प्रकार जागरुकता गांवों की पंचायतें गांवों के प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलकर ग्रामवासियों में पैदा करें तो गांवों की बहुत–सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिस गांव में शिक्षित युवा पदों पर होंगे, उस गांव का विकास निश्चित रूप से होगा।

नशा–मुक्ति हेतु प्रयास – किसी भी समस्या का समाधान दण्ड का प्रावधान करने से नहीं अपितु सामूहिक प्रयास करने से होता है। आज गांवों में नशे ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं कि घर बर्बाद हो गए हैं, सम्पत्तियां बिक गई हैं, जवान मौतें हो रही हैं और युवाओं में काम करने की सामर्थ्य नहीं रह गई है। इस बुराई से गांव को बचाने के लिए पंचायतों को गांव के कुछ प्रतिष्ठित एवं शिक्षित व्यक्तियों के साथ मिलकर युवाओं को समझाकर अच्छे मार्ग पर लाना चाहिए।

विवादों का निपटारा – कहावत है कि जहां दो बर्तन होते हैं वहां आवाज तो होती ही है। यही बात समाज में भी लागू होती है। साथ–साथ रहते हुए किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो जाना संभव है। ऐसे मामलों में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पंचायत के सदस्यों को चाहिए कि ऐसे विषयों में पंचायत की बैठक न बुलानी पड़े, ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में दोनों पक्षों के अहम टकराने लगते हैं। इन हालातों से निपटने के लिए दोनों पक्षों को आमने–सामने बैठाकर समझाना चाहिए जिससे सारे मनमुटाव एवं तनाव सहज ही समाप्त हो जाएंगे।

लिंगानुपात में वृद्धि – गांवों में लिंगानुपात में असन्तुलन एक अहम समस्या बना हुआ है। कुल 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 900 से नीचे चली गई है जिससे युवाओं में निष्क्रियता एव गैर–जिम्मेदारी की भावना पैदा हो रही है। इसका मूल कारण अशिक्षा, दहेज आदि हैं। इसके लिए पंचायत को चाहिए कि समाज को जागरूक करे। कुछ राज्य सरकारों ने भी ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से घोषणा की है कि जिस गांव में लिंगानुपात में सुधार दिखाई देगा, उस गांव की पंचायत को पांच लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। किन्तु यहां सवाल पुरस्कार का न होकर ग्राम एवं राष्ट्र विकास का है। इसलिए ग्राम पंचायतों को इसे अपना सामाजिक कर्तव्य समझते हुए गांव की शिक्षित एवं समझदार महिलाओं के समूह बनाकर गांवों में जागरुकता का प्रसार करना चाहिए।

स्वरोजगार क्षेत्र का विकास – आमतौर पर देखने में आ रहा है कि रोजगार के अभाव में गांवों के युवा शहरों की ओर पलायन कर रहें हैं जिससे नुकसान होता है – पहला, गांव का विकास अवरुद्ध होता है और दूसरा शहरों के ऊपर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। यदि गांवों में ही रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएं तो इन दोनों समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस विषय में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। पंचायतों को चाहिए कि वे गांवों में स्थित चौपालों या सामुदायिक केन्द्रों में राज्य सरकार के जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों को आमन्त्रित करके ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे प्रशिक्षण प्राप्त युवा अपने गांव में ही कोई काम शुरू कर सकें। इसी प्रकार के कार्यक्रम अलग से महिलाओं के लिए भी आयोजित किए जा सकते हैं जिससे महिला को कृषि उत्पाद प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

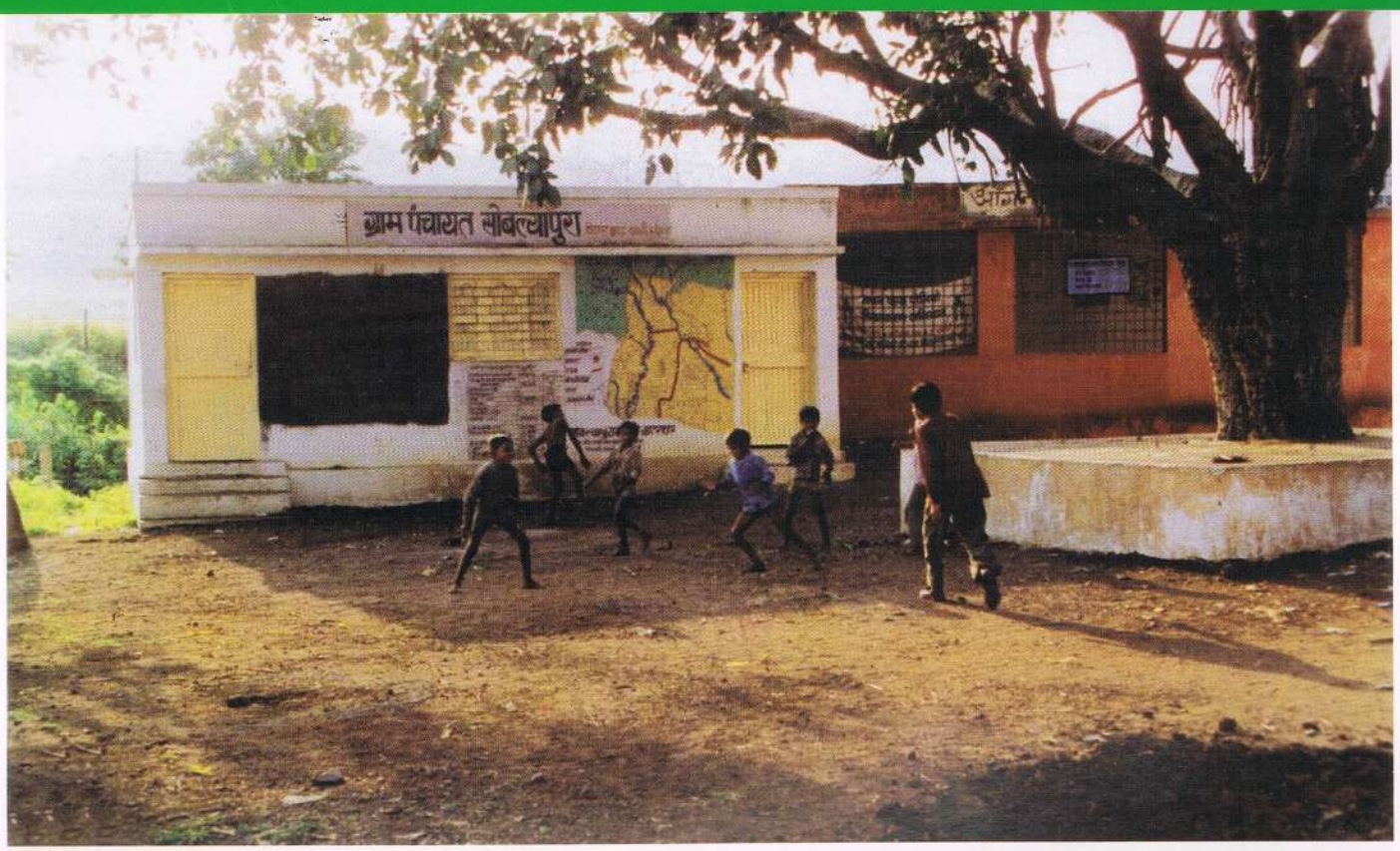

ग्राम पंचायत सोल्वया पुरा के भवन की दीवार पर लिखी जानकारी प्रशासन में पारदर्शिता की झलक है

बीज–खाद एवं कृषि उत्पादों की विपणन एवं सहकारिता – पंचायत को चाहिए कि गांव में ही किसानों को उत्कृष्ट क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए जिसके लिए सरकारी स्तर पर प्रयास करने होंगे। इसी प्रकार की व्यवस्था कृषि उत्पादों के विपणन के लिए भी करनी होगी ताकि किसान मध्यस्थों के चंगुल में न फंसें। ये दोनों कार्य सहकारी समितियों का गठन करके भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा गांवों में दुग्ध सहकारी समिति भी स्थापित की जा सकती हैं।

उपर्युक्त विवरण पंचायतों के व्यावहारिक कर्तव्यों एवं दायित्वों को रेखांकित करते हैं। केन्द्र सरकार ने भी योजनाओं का लाभ अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दृष्टि से पंचायतों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है जिसके फलस्वरूप विकास की धारा गांवों में प्रवाहित होनी आरम्भ हो गयी है और परिणाम एवं उपलब्धियां परिलक्षित भी हो रही हैं।

उपलब्धियां और पहलें

भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लगभग 52 करोड़ मतदाता हैं। जमीनी स्तर के संस्थानों की संख्या लगभग 2.40 लाख है और पंचायतों में चुने गए लोगों की संख्या लगभग 28 लाख है। जमीनी स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में यह इतिहास में किसी भी समय और कहीं भी किए गए कार्य में प्रजातंत्र में सबसे बड़ा प्रयोग है।

हमारी पंचायती राज संस्थाओं में 10 लाख से भी अधिक महिलाएं चुनी गई हैं जोकि कुल चयन का 37 प्रतिशत है और बिहार में महिलाओं का चयन बढ़कर 54 प्रतिशत तक जा पहुंचा है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कुछ राज्यों में सीटों के आरक्षण को प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के उनके हिस्से के अनुपात में कानूनी रूप से लागू किया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय का जनादेश संविधान के भाग 9 में स्थापित किया गया है जो जिला योजना समितियों और ग्यारहवीं अनुसूची से संबंधित भाग 9 (अ) के अनुच्छेद 243 के साथ पंचायतों का उल्लेख करता है जो 29 मामलों की एक सूची को स्पष्ट रूप से तय करता है जिन पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना के साथ–साथ आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए स्कीमों के क्रियान्वयन के संबंध में पंचायतों के हस्तांतरण पर राज्य विधायिकाओं द्वारा इस प्रकार विचार किया जाना चाहिए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्व–सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करें।

वर्ष 2008 में पंचायती राज मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां और पहल इस प्रकार हैं –

जिला एवं मध्यवर्ती पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन – यह सम्मेलन 22 से 24 अप्रैल, 2008 तक आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा किया गया था।

इस राष्ट्रीय सम्मेलन में 26 राज्यों और 5 केन्द्रशासित प्रदेशों के लगभग 8000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें लगभग 1500

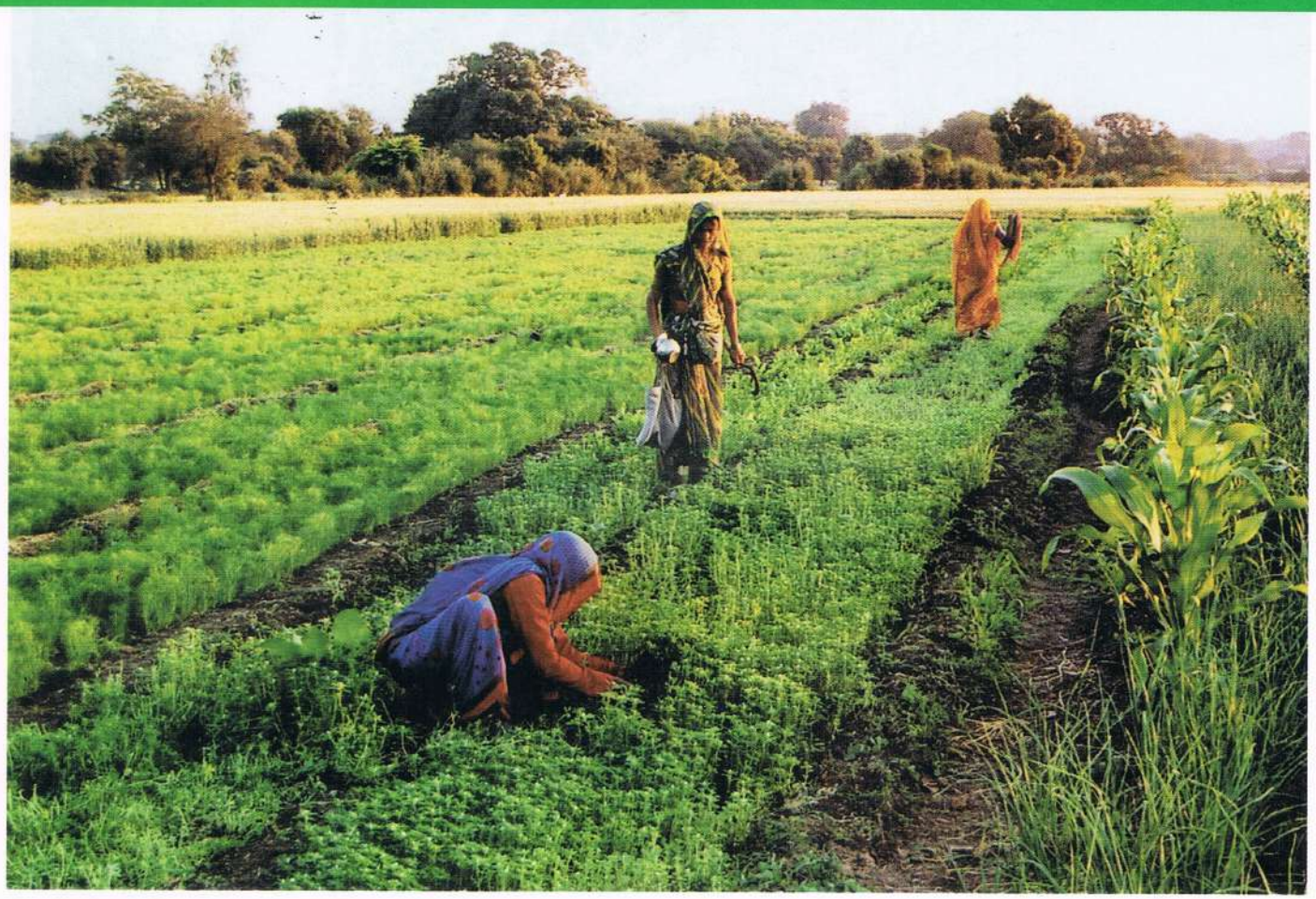

महिलाएं शामिल थीं। ये प्रतिनिधि मुख्यतः जिला और मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्ष थे। पंचायती राज पर 15वीं वर्षगांठ के घोषणा–पत्र को प्रतिनिधियों द्वारा निर्विरोध रूप से स्वीकार कर लिया गया। यह घोषणा–पत्र सम्मिलित शासन के माध्यम से सम्मिलित विकास पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह घोषणा–पत्र पंचायतों के प्रत्येक स्तर तक धन के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध विभागों के बजटों के लिए सभी स्कीमों को एक पंचायत क्षेत्र खिड़की में इकट्ठा करने की सिफारिश करता है। अन्य सिफारिशें पंचायतों के कार्यकारी सशक्तिकरण, पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण, पदाधिकारियों के हस्तांतरण के माध्यम से पंचायतों की क्षमताओं में सुधार लाना, प्रशिक्षण, पंचायत के लिए कर्मचारियों का प्रावधान, पंचायत के चुने गए प्रतिनिधियों के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक प्रावधान, पंचायत द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, पंचायतों के लिए भौतिक बुनियादी सुविधाओं और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रावधान, विकेन्द्रीकृत योजना क्रियान्वयन, संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के प्रावधानों के अनुरूप जिला योजना समितियों के गठन और जिला योजनाओं को तैयार करने के लिए जिला योजना समितियों के लिए तकनीकी सहयोग की व्यवस्था करने से संबंधित है। यह घोषणा–पत्र इस सम्मेलन के समापन दिवस पर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को सौंप दिया गया। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि पंचायती राज तंत्र के सुधार पर इन सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

ग्रामीण व्यापार केन्द्र – 15 राज्यों में 162 ग्रामीण व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना के लिए सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। ग्रामीण व्यापारिक केन्द्रों की पहल का लक्ष्य है व्यापारिक संबंधों की स्थापना और निश्चित पुनर्खरीद के प्रबंधों के माध्यम से ग्रामीण उत्पादों/उत्पादकों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जोड़ना। विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारी को इन सहमति–पत्रों पर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में अभी तक 30 ग्रामीण व्यापार केन्द्रों पर कार्य शुरू हो गया है। इन ग्रामीण व्यापार केन्द्रों ने एक पारदर्शी मूल्य प्रणाली पर आधारित बीजों को निश्चित पुनर्खरीद के साथ हरियाणा, असम, त्रिपुरा और झारखंड में जत्रोपा की खेती और उसके विपणन को बढ़ाया है। इन व्यापार केन्द्रों के माध्यम से मणिपुर में फल, उत्तराखंड में फल–सब्जियों, राजस्थान में दाल और मिर्च प्रसंस्करण और झारखंड में लाख और इमली के लिए व्यापारिक संपर्क स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण व्यापार केन्द्रों ने तमिलनाडु में रेशम उत्पादन, दुग्ध उत्पादों, कीट खाद और ईंटों के व्यापार के अवसर प्रदान किए हैं। इनके अलावा राजस्थान में हाथ से बुनी कालीनें, छत्तीसगढ़ में कांसा और लकड़ी के हस्तशिल्प और पश्चिम बंगाल में लोककलाओं का ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की पहलों के माध्यम से व्यापार हो रहा है।

ग्रामीण व्यापार केन्द्र की पहल सार्वजनिक–निजी पंचायत भागीदारी के उन्नयन से देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक आर्थिक

विकास का लाभ ले जाना है। यह विकेन्द्रित ग्रामीण उत्पादन इकाइयों और बड़ी विपणन इकाइयों के बीच एक निष्कपट और समेकित भागीदारी विकसित करने में भी मदद करेगा।

वर्तमान ग्रामीण व्यापार केन्द्र के रूप में की गयी पहल राज्य सरकारों के परामर्श से चिन्हित 33 जिलों पर केन्द्रित है और प्रवेश द्वार एजेंसियों की सेवाएं इन परियोजनाओं को पंचायतों में चलाये रखने के लिए इन जिलों में उपलब्ध करा दी गयी हैं। पंचायती राज मंत्रालय की राज्य सरकारों के साथ भागीदारी से देश के 6100 मध्यवर्ती पंचायतों में प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत तक अपने क्षेत्र का विस्तार करने की योजना है।

भारत–अफगान सहयोग – स्थानीय शासन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार और अफगानिस्तान सरकार के बीच एक सहमति पत्र पर भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री और अफगानिस्तान सरकार के ग्रामीण पुनर्वास और विकास मंत्री के द्वारा 17 मई, 2008 को काबुल में हस्ताक्षर किये गये।

पंचायती राज मंत्रालय और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के बीच सहयोग के एक सहमति–पत्र पर तत्कालीन पंचायती राज मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर और अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री महावीर प्रसाद की उपस्थिति में अगस्त 2008 में हस्ताक्षर किये गये। ग्रामीण व्यापार केन्द्रों के प्रयास के तहत पंचायती राज मंत्रालय और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग इस पहल में पंचायतों को उचित भूमिका प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हुए हैं।

इस संयुक्त कार्य के लक्ष्यों में ग्रामीण रोजगार का उत्पादन और खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग और पंचायतों की स्कीमों और इनके प्रयासों के माध्यम से उत्पादों के बेहतर विपणन द्वारा ग्रामीण उत्पादकों के लिए ऊंची एवं सतत आय का निर्माण शामिल है।

इस पहल के तहत पंचायतें और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग/खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड संयुक्त रूप से ऐसी क्षमतावान परियोजनाओं की पहचान करेंगे जिन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्कीमों के तहत समर्थन दिया जा सकता है और ग्रामीण व्यापार केन्द्र की पहल पर कार्य करने वाले उद्योग के कॉरपोरेट सदस्यों के माध्यम से विपणन समर्थन भी देंगे। इस उद्देश्य के लिए चयनित जिलों में जिला–स्तरीय बैठकों को आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रासंगिक स्कीमों से पंचायतों का परिचय कराया जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग परियोजना का स्वरूप तैयार करने के लिए और बैंकों से संपर्क स्थापित करने के लिए बड़े लाभार्थियों को अपनी ग्रामीण उद्योग परामर्श सेवा (आर आई सी एस) भी प्रदान करेगा। ऐसे प्रस्तावों को फास्ट ट्रैक सिस्टम के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। जहां आवश्यकता होगी, बड़े लाभार्थियों को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से कौशल विकास/कौशल संवर्धन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पंचायती राज मंत्रालय अनेक स्कीमों से संसाधन को जोड़कर आम सुविधा केन्द्रों और अन्य लघु बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए पंचायतों की मदद करेगा। पंचायतें खादी एवं ग्रामोद्योग स्कीमों के लिए उपयुक्त लाभार्थियों की पहचान के रूप में पीछे की तरफ नेटवर्क भी प्रदान करेंगी।

जमीनी–स्तर पर ई–गवर्नेंस – ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अब ई–गवर्नेंस के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत कार्यालयों में जन्म और मृत्यु प्रमाण–पत्रों, कर अदायगी के प्रयोग, ई–मेल इत्यादि जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।ग्राम पंचायत के अध्यक्ष या सरपंच सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत के बाद इनके माध्यम से पंचायत कार्यालय में अपने कंप्यूटर पर पंचायत केन्द्रित स्कीमों की निगरानी, वित्तीय लेखा–जोखा और रिपोर्ट भेजने और ग्रामसभा एवं पंचायत बैठकों के रिकार्ड रखने का काम कर सकते हैं।

पंचायती राज के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेषज्ञ समिति ने जनवरी, 2008 में पंचायती राज मंत्री को अपनी सिफारिशें सौंप दी। यह रिपोर्ट बहुप्रणाली प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का अभिन्न हिस्सा बनने के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग की सिफारिश करती है। इस समिति ने हार्डवेयर एवं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन स्टैंडर्ड्स, क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय पंचायती पोर्टलों और सुविधा प्रबंधन पर विस्तृत सिफारिशें की हैं।

पंचायत स्तर पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों की शुरुआत न केवल प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग की अनुमति देगी बल्कि प्रौद्योगिकी को समझने का भी लोगों को अपार अवसर प्रदान करेगी चाहे प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, ऊर्जा आपूर्ति से संबंधित हो या किसी अन्य मुद्दे से जिसकी वजह से ऐसी प्रौद्योगिकी को उन्हें परंपरागत रूप से मना किया गया है। एक ऐसी पहल जमीनी एवं बड़े स्तर पर रोजगार के अवसरों का निर्माण करेगी जैसाकि इसने शहरी क्षेत्रों में संचालन सेवाओं, निर्वाह और कई अन्य सहायक क्षेत्रों के रूप में किया है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग की संस्कृति को उस हद तक फैलाएगी जहां तक किसी और प्रयास से संभवतः नहीं पहुंचा जा सकता। यह प्रयास सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकासकर्ताओं के सामने संपूर्ण रूप से नयी चुनौतियां भी रखेगा जब वे गांवों में प्रौद्योगिकी के प्रसार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास तेज करेंगे। कुल मिलाकर यह देश के संपूर्ण सरकारी स्पेक्ट्रम को अपने दायरे में लेते हुए एक संशोधित साइबर स्पेस का निर्माण करेगा जहां सूचना का प्रवाह अबाध रूप से हो सके।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : I.kumar@yahoo.com

पंचायती राज में रोजगार की बदलती तस्वीर

डॉ. सुधीश कुमार पटेल

ग्राम पंचायतों के सामने सबसे जटिल समस्या ग्रामीणों का पलायन रोकने की है। इसके लिए गांव में ही ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है। परस्पर सहयोग के आधार पर काम करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं इसलिए लोगों में स्वरोजगार प्रारंभ करने की दृढ़ इच्छाशक्ति पैदा करना ग्राम पंचायतों का कर्त्तव्य है। यदि लोगों में कार्य के प्रति रुचि एवं मेहनत करने की आदत बन गई तो पंचायतों के प्रयास भी सफल होंगे और लोगों को गांव से शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अत: ग्रामीण रोजगार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे न केवल बेरोजगारी दूर होगी वरन् ग्रामीण विकास भी संभव हो सकेगा। आज जरूरत इस बात की भी है कि हर हाथ को काम और हर काम का उचित दाम मिले जिससे स्वस्थ एवं सुखमय समाज की रचना होगी और गांवों में सम्पन्नता आएगी।

भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के वर्तमान दौर में भी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। आज यदि देश के किसी युवा से पूछा जाए कि भाई क्या कर रहे हो तो उसका वही रटा–रटाया–सा जवाब होगा कि रोजगार तलाश रहा हूं। वास्तव में देखा जाए तो हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 1.93 प्रतिशत है जबकि रोजगार वृद्धि की दर 0.98 प्रतिशत है, जो जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि की दर से लगभग आधी है। अतः श्रम शक्ति में जितनी तेजी से वृद्धि होती है उतनी तेजी से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते हैं जिससे हर वर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है। रोजगार की दृष्टि से हमारा देश चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। आज हम यह देखते हैं कि ग्रामीण युवा शक्ति का सदुपयोग नहीं हो रहा है, वे बेकार में घूमते–फिरते हैं तथा रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं, परन्तु समस्या का निदान दूर–दूर तक दिखाई नहीं देता है। आज भी देश में पारम्परिक गुणों से लैस करोड़ों लोग, भूमिहीन श्रमिक एवं कुशल कारीगर हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतें अपने

गांव में उपलब्ध संसाधनों, लोगों की क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न करने के प्रयास कर सकती हैं। यदि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, तो समाज में अराजकता विकराल रूप धारण कर सकती है और इसके दुष्प्रभाव सभी को झेलने पड़ेंगे। निश्चित रूप से बढ़ती बेरोजगारी और उससे उत्पन्न हो रहे खतरों पर विचार करना देश की प्राथमिक आवश्यकता है। वास्तव में भारत निर्माण में ग्राम पंचायतों की भूमिका ग्रामीण रोजगार की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है।

इक्कीसवीं शताब्दी के प्रथम सात वर्षों में विकास दर 6.9 प्रतिशत रही और प्रति व्यक्ति आय 5 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन विकास दर बढ़ने से न तो गरीबी घटी और न बेरोजगारी ही दूर हुई, बल्कि सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि पिछले तीस वर्षों में उत्पादन तो बढ़ा लेकिन रोजगार वृद्धि की दर घटी, क्योंकि विकास का आधार ही पूंजी प्रधान तकनीक है । भारत निर्माण की विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भों के मूल में जाए, तो हमारे देश में रोजगार चाहने वालों की संख्या में जहां एक ओर प्रतिवर्ष भारी वृद्धि हो रही है, वही दूसरी ओर संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिनों–दिन घट रहे हैं। रोजगार में कमी सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों में हुई है। देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार के आंकड़े तालिका में दर्शाए गए हैं।

तालिका से स्पष्ट है कि उदारीकरण के बाद प्रारम्भ के कुछ वर्षों में रोजगार में वृद्धि जारी रही। वर्ष 1990 के अंत में कुल 263.53 लाख व्यक्तियों को संगठित क्षेत्र में रोजगार मिला। यह संख्या बढ़ते–बढ़ते वर्ष 1997 के अंत तक 282.45 लाख हो गई थी। उसके पश्चात् इसमें लगातार गिरावट का सिलसिला प्रारम्भ हुआ तथा वर्ष 2007 में यह संख्या 267.66 लाख ही रह गई। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ोतरी की रफ्तार बहुत धीमी है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य बेरोजगारी से लेकर शिक्षित और पेशेवर वर्ग के रोजगार के अवसरों पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा छोटे–बड़े सभी पदों में कटौतियों का क्रम जारी है।

रोजगार एवं ग्राम पंचायतें

भारत के गांवों में करीब 73 प्रतिशत परिवार और कुल जनसंख्या की लगभग 75 प्रतिशत आबादी निवास करती है। आज भी गांवों से महानगरों की ओर ग्रामीणों की पलायनवादी संस्कृति बढ़ रही है। जिससे महानगरों में नागरिक सुविधाओं का ढांचा चरमरा रहा है और कई जगह तो स्थानीय आबादी और बाहर से आए लोगों के बीच तनाव के भी हालात निर्मित होकर, कई कड़वे तथ्य कुलबुलाते रहे हैं। देश में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुए लगभग 16 वर्ष बीत गये हैं लेकिन करीब 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। उनके पास अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी का अभाव है। ऐसे लोगों को ग्राम पंचायतें, जिन्हें की स्थानीय सरकार भी कहा जाता है, अपने गांव में उपलब्ध संसाधनों, लोगों की क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रोजगार के अवसर सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कुटिलता, प्रकृति की मार एवं लचर सत्तासीन सरकारों एवं कमजोर प्रशासन तंत्र की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है। आज के दौर में रोटी और रोजगार से भी ज्यादा कमी सूचना की है। सही, नई और पूरी जानकारी सभी को सहज उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके लिए यह आवश्यक है कि बेरोजगार सदैव सजग, सक्रिय और सचेत रहे।

सत्ता के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का श्रेय पंचायती राज को ही जाता है। जाहिर है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का दीप प्रज्ज्वलित कर 73वें संविधान संशोधन का मकसद ग्राम पंचायतों के ढांचे और कार्यकलापों में परिवर्तन करके, विकास कार्यों में ग्रामीण लोगों की सहभागिता और रोजगार को बढ़ाना रहा है। आज देश में रोजगारविहीन आर्थिक विकास बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक दशा निरंतर बिगड़ती जा रही है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता

संगठित क्षेत्र में रोजगार (लाख में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1990	187.72	75.82	263.54
1991	190.57	76.76	267.33
1992	192.10	78.46	270.56
1993	193.26	78.51	271.77
1994	194.45	79.30	273.75
1995	194.66	80.59	275.25
1996	194.29	85.12	279.41
1997	195.59	86.86	282.45
1998	194.18	87.48	281.66
1999	194.15	86.98	281.13
2000	193.14	86.46	279.60
2001	191.38	86.52	277.90
2002	187.73	84.32	272.05
2003	185.80	84.21	270.01
2004	181.91	82.46	264.37
2007	170.45	97.21	267.66

है कि ग्रामीण क्षेत्र का किस गति से विकास हो रहा है। यह युग गति की सर्वोच्च स्थिति पाने की कोशिश का है, इसी क्रम में ग्रामीण भारत के चहुंमुखी विकास को गति प्रदान करने के लिए भारत निर्माण योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 2005–06 से 2008–09 के दौरान गांवों में विकास कार्यों पर 1,74,000 करोड़ के अपेक्षित निवेश के साथ चार वर्ष में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके। यदि देश के विकास में ग्रामीण रोजगार की योजनाएं गंभीर विचार–विमर्श से बनें तो एक शक्ति सम्पन्न, उन्नतशील और विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा ।

लघु एवं कुटीर उद्योग से जुड़े रोजगार

लघु एवं कुटीर उद्योग अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो बड़ी मात्रा में गांव के हर वर्ग और तबके को रोजगार से जोड़ते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों में स्थानीय संसाधनों तथा मानवीय श्रम का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित रूप से होता है। मौसमी प्रवृत्ति होने के कारण देश के किसान लगभग छः माह बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि न तो उनके पास पर्याप्त भूमि है न ही खेती–बाड़ी का पर्याप्त कार्य। ऐसे में यदि लोग स्थानीय कृषि उत्पादन एवं वहां की आवश्यकताओं में तालमेल रखते हुए, छोटे उद्योग लगाए तो रोजगार भी मिलेगा और गांव का आर्थिक विकास भी होगा। वास्तव में भारी उद्योगों में रोजगार के अवसर कम होते हैं लघु और कुटीर उद्योगों में अधिक। इसलिए लघु एवं कुटीर उद्योग लगाने के लिए ग्राम पंचायतें विषय विशेषज्ञों को गांव में बुलाकर जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था आयोजित कर सकती हैं। परम्परागत उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने, माल की गुणवत्ता का उन्नयन करने, लागतों को घटाने तथा उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से औद्योगिक सफलता बढ़ जाती है। साथ ही पूंजी निर्माण में स्वयंसहायता समूह मददगार हो सकते हैं। गांव में हाट, बाजार लगाकर, माल को बेचने का प्रबंध भी किया जा सकता है। ग्राम पंचायतें भारत निर्माण की दिशा में प्रयास करें, तो ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध होगा और गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी।

हस्तशिल्प से जुड़े रोजगार

भारत में हस्तशिल्प कला का सदियों से संरक्षित, विकसित एवं पल्लवित गौरवशाली इतिहास रहा है। इसके विकास की उज्जवल संभावनाएं इसलिए भी हैं कि इसमें पूंजी निवेश बहुत कम चाहिए तथा इस श्रम प्रधान उद्योग में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. गाडगिल ने लिखा है कि ढाका की मलमल, बंगाल की छींट, बनारस की साड़ी एवं सूती वस्त्र, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, कश्मीर की कशीदाकारी, राजस्थान की चुनरी तथा सिरोही की भोजड़ी न केवल घरेलू बाजार में अपितु विदेशों में भी उत्कृष्टता और कारीगरी की शानदार परंपरा और भारतीय कलात्मकता का परचम लहराती है। आज भी देश–विदेश में काष्ठकला, हाथीदांत की चूड़ियां, पत्थर पर कारीगरी, मूर्तिशिल्प, गलीचा, चर्मशिल्प, फर, पेंटिंग आदि शिल्प उत्कृष्टता लिए हुए हैं। रहन–सहन, फैशन, रूचियों आदि में आए परिवर्तन के साथ ही भूमण्डलीकरण और उदारीकरण की नीतियां हस्तशिल्प के पारंपरिक उद्योगों को बर्बाद कर रही हैं। नयी पीढ़ी के लिए आवश्यक है कि वे इस परम्परागत कला को संरक्षित करने का प्रयास करें। यह वास्तविकता है कि हस्तशिल्प उद्योग को नई दिशा और नए आयाम देकर प्रभावी विपणन तंत्र के साथ, ग्राम पंचायतें इसे बेरोजगारी एवं निर्धनता निवारण का एक अहम् व रोजी–रोटी का कारगर हथियार बनाए तो गांव आत्मनिर्भरता के अग्रदूत बन सकते हैं। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में शिविर लगाकर संबंधित विशेषज्ञों से प्रशिक्षण दिलवाकर क्राफ्ट सेंटर्स और क्राफ्ट्स स्कूल चला सकती हैं जोकि परम्परागत स्कूलों से ज्यादा उपयोगी एवं रोजगारमूलक हो सकते हैं। यदि ऐसा किया जाना सुनिश्चित कर सके तो हमारा हस्तशिल्प उद्योग पुनः स्थापित हो सकेगा ।

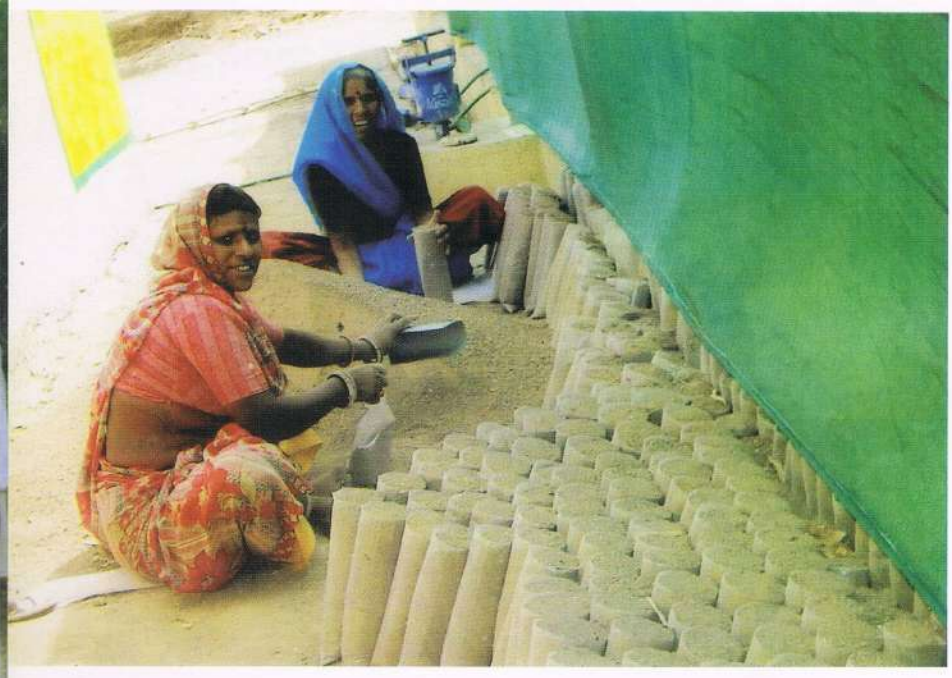

पर्यटन से जुड़े रोजगार

ग्रामीण पर्यटन अपने आप में अनूठा और अभिन्न प्रयोग है। यह एकदम नयी अवधारणा है, इसके फलने–फूलने के अच्छे आसार हैं क्योंकि बिना किसी उत्पादन के आय देने वाला, रोजगार प्रदान करने में सक्षम पर्यटन आज उद्योग के रूप में स्थापित हो गया है। आज वैश्विक रोजगार में पर्यटन का हिस्सा 8.1 प्रतिशत और घरेलू रोजगार में पर्यटन का हिस्सा 4.59 प्रतिशत है । पर्यटन से न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित

होती है, अपितु बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध होते हैं। ग्राम पंचायतें पर्यटन के बढ़ते महत्व एवं आकर्षण को दृष्टिगत रखकर अपने क्षेत्र में रोजगार संभावनाओं में इजाफा कर सकती हैं। पंचायत क्षेत्र की हवेलियां, तीज–त्यौहार, मेले, उत्सव, कला–संस्कृति मंदिर, खान–पान, रहन–सहन आदि लोगों के आकर्षण के केन्द्र होते हैं। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में ग्राम पर्यटन की संभावनाएं तलाश कर, इसके विपणन की प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर आय एवं रोजगार का साधन जुटा सकती हैं। ग्रामीण पर्यटन को वैश्विक पहचान देने के उद्देश्य से, कमियों को नियोजित ढंग से दूर कर, आर्थिक लाभ एवं रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकते हैं। अतुल्य भारत की सफलता के लिए पर्यटन की अंर्तराष्ट्रीय छवि को भी सुधारना होगा। इसके साथ ही पर्यटकों की बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना होगा। ग्रामीण सड़कें, परिवहन, संचार, होटल, पर्यटक उपयोगी वस्तुएं आदि उपलब्ध करानी होंगी तथा सुरक्षा की तरफ भी पर्याप्त ध्यान देना होगा जिनसे ग्रामीण लोगों को रोजगार के सुनहरे अवसर उपलब्ध कराकर उनके पलायन को भी रोका जा सकता है। आज महानगरों की भीड़–भाड़ से दूर स्वच्छ वातावरण में पर्यटकों के लिए ग्राम पर्यटन एक अलग अनुभव है। अतः ग्राम पंचायतें पर्यटन की दिशा में थोड़ा प्रयास करें, तो ग्रामीण पर्यटन से जुड़े रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

रोजगार गारंटी कार्ड दिखाते ग्रामीण जन

कृषि से जुड़े रोजगार

हरित क्रांति जैसी तकनीकी सफलता के बाद गांव में रोजगार बढ़ाने में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायतें ऐसी योजनाएं बनाएं, जिनमें बेरोजगार परिवारों को गैर–कृषि योग्य भूमि, परती भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। उन्हें कृषि के लिए इन भूमियों का आवंटन कर गांव की बेरोजगारी दूर की जा सकती है। कृषि एवं कृषक की समस्या आज उत्तरोत्तर प्रश्नचिन्ह बनती जा रही है। भुखमरी एवं कर्ज का बोझा ढोता किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। यह समाचार किसी न किसी क्षेत्र का पढ़ने–सुनने को मिल रहा है। ऐसी स्थितियों में ग्राम पंचायतों को विशेष कार्य योजनाएं बनानी पड़ेंगी। ग्राम पंचायतों द्वारा छोटी सिंचाई परियोजनाएं तथा गांवों में वर्षा का पानी एकत्रित करके कृषि कार्य किया जा सकता है, क्योंकि 60 प्रतिशत किसान हर वर्ष इन्द्र देवता की कृपा पर निर्भर रहता है। ग्रामीणों को उन्नत किस्म की फसलों–सब्जियों को उगाने की आधुनिक तकनीक, खाद–बीज तथा वाणिज्यिक फसलें लेने की विधि की जानकारी कृषि विशेषज्ञों द्वारा कराकर, युवाओं को प्रशिक्षित करके कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कृषि उत्पाद पर आधारित लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं तथा फलों और सब्जियों की पैकिंग, आचार–मुरब्बे बनाना, मसाले एवं दालें बनाकर भी लोगों को रोजगार मुहैया कराकर स्वरोजगार की ओर मोड़ा जा सकता है। इसी तरह कृषि व्यवसाय–प्रबंधन भी उगते हुए सूरज की तरह है, जो सर्वत्र अपने उजाले को फैलाएगा। अरसे से अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री यह कहते आए हैं कि ग्रामीण इलाकों में दूसरे काम–धंधे तभी पनप सकते है, जब खेती भी खुशहाल हो। अतः सरकार को कर्ज माफी के अलावा किसानों की समस्याओं के हर संभव समाधान तलाशने की कोशिश करनी चाहिए।

पशुपालन से जुड़े रोजगार

एक ओर ग्राम पंचायतों के माध्यम से देशी पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके स्वास्थ्य सुधार एवं उपचार के भी प्रबंध किये जाते हैं। पशुपालन के परम्परागत व्यवसाय को लाभकारी बनाने की दृष्टि से विज्ञान एवं तकनीकी के इस युग में आज भी असीम संभावनाएं हैं। दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, गौमूत्र, चर्म, अस्थियां, उपले (कंडे), ऊन आदि से बने विभिन्न उत्पादों से लघु एवं कुटीर ग्रामोद्योग चलाए जा सकते हैं। ग्रामीण परिवार की रीढ़ कही जाने वाली बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी का महत्व आज के जेट युग में भी कम नहीं हुआ है। ट्रैक्टर के इस युग में भी बैलों से हल जोतना आवश्यक है, क्योंकि हमारी अधिकांश खेतों की जोत छोटी हैं। ग्राम पंचायतें कार्ययोजना तैयार करके पशुपालन को ग्रामीण रोजगार का प्रमुख आधार बना सकती हैं। अब गोबर गैस संयंत्र की सहायता से रसोई गैस और रोशनी के कार्य को भली–भांति अंजाम दिया जा रहा है तथा उत्तम गोबर खाद की सफलता सभी जानते हैं। ग्राम

पंचायतें सहकारी समितियां बनाकर पशुपालन से जुड़े रोजगार का आधार बना सकती हैं।

वन एवं खनन से जुड़े रोजगार

देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और रोजगार के घटते अवसरों के दबाव ने चारागाहों और वनों का सर्वाधिक विनाश किया है। पंचायतों क` माध्यम से इनके विकास पर ध्यान दिया जाए तो वनों से रोजगार की विपुल संभावनाएं हैं। वनों का विस्तार करने के लिए वृक्ष लगाना व उनका संरक्षण करना रोजगार का प्रमुख साधन बन सकता है। पंचायत अधिनियम में भूमि, वन, जल एवं अन्य स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण पंचायतों को सौंप दिया गया है। इस दृष्टि से संयुक्त वन प्रबंधन समितियां ग्राम पंचायत के अधीन क्रियात्मक इकाईयां होंगी। यद्यपि ये समितियां वन संरक्षण, प्रबंधन एवं विकास कार्य स्वतंत्र रूप से करेंगी। पंचायत की जमीन पर जहां भी संभव हो, वहां वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, तथा ग्रामीण वन सुरक्षा समितियां बनाकर उनकी समुचित सुरक्षा की जानी चाहिए।

अल्प बचत एवं बीमा एजेंसी से जुड़े रोजगार

अल्प बचत एवं बीमा एजेंसी के व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए इसे अपनाकर ग्रामीण युवा रोजगार प्राप्त कर सकता है। लोगों का पोस्ट आफिस में खाता खुलवाना, आर.डी. खुलवाना, एफ.डी. खुलवाना तथा इसके लिए पोस्ट आफिस से कमीशन प्राप्त करना अच्छा रोजगार है। इसी प्रकार बीमा एजेंसी लेकर भी बीमा कार्य किया जा सकता है। उत्तम सेवाएं देकर तथा मेहनत करके अच्छी आमदनी हो सकती है। अल्प बचतों के द्वारा (ग्रामीण) मिलकर स्वयंसहायता समूह का निर्माण करके रोजगार बढ़ाने में ग्राम पंचायतें योगदान कर सकती हैं। स्वबचत की आदत का विकास करने में अल्प बचत बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिजूलखर्ची पर अंकुश लगता है। एक समान आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लोग परस्पर मिल–बैठकर खुद अपनी समस्या सुलझा सकते हैं, अपने एकत्रित कोष से ऋण ले सकते हैं। बचत समूह पूंजी एवं सहयोग द्वारा रोजगार बढ़ाने में मदद प्रदान कर सकते हैं और यह नारा फलीभूत होता है कि आज की बचत कल का सहारा, बूंद–बूंद से घट भरे आदि।

ग्राम पंचायतों के सामने सबसे जटिल समस्या ग्रामीणों का पलायन रोकने की है। इसके लिए ग्राम में ही ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है। भारत निर्माण की चौखट पर आज विभिन्न समस्याओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त निर्धनता, भुखमरी और असमानता को मिटाने के लिये भागीरथी प्रयासों की आवश्यकता है जिससे सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन से स्थायी विकास सुनिश्चित कर ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन को दूर कर, रोजगार उपलब्ध हो सकें। गांव को स्वावलम्बी और विकसित करने के लिये ग्राम पंचायतों को रचनात्मक पहल करना आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखें कि गरीब की ओर आ रही लाभ की धारा को कहीं प्रभावशाली व्यक्ति अपनी ओर न मोड़ ले। परस्पर सहयोग के आधार पर काम करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं इसलिए लोगों में स्वरोजगार प्रारंभ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करना ग्राम पंचायतों का कर्त्तव्य है। यदि लोगों में कार्य के प्रति रुचि एवं मेहनत करने की आदत बन गई तो पंचायतों के प्रयास भी सफल होंगे और लोगों को गांव से शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः ग्रामीण रोजगार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे न केवल बेरोजगारी दूर होगी वरन् ग्रामीण विकास भी संभव हो सकेगा।

(लेखक चंचलबाई पटेल महिला महाविद्यालय, जबलपुर में वाणिज्य विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं।)
ई–मेल : sudhessh_1973@rediffmaill.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।
शुल्क : **कुरुक्षेत्र** एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)
डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....
पता .....
..... पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

भूस्खलन से अवरुद्ध सड़क मार्ग

आपदा प्रबंधन की नई भूमिका में पंचायत

डॉ. निर्मल कुमार आनंद

ग्रामीण स्तर पर आपदाओं से निपटने हेतु पंचायतों को एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें पंचायत को तीन तरह के कार्य करने होंगे। एक तो यह कि अपने क्षेत्र में आनेवाली आपदाओं की पहचान कर उसका हल ढूंढ़ना होगा तथा दूसरा यह कि आपदा के समय प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों से संपर्क बनाकर सुरक्षित स्थानों की जानकारी देनी होगी एवं अंततः आपदा के बाद जख्मी लोगों को हर प्रकार से राहत एवं बचाव कार्य की सेवा देनी होगी। इस प्रकार आपदा के तीनों स्तर पर पंचायत, अपनी सूझबूझ से होने वाली क्षति को कम कर सकती है। पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन की सफलता सबसे अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि जन सहभागिता किस तरह की और किस हद तक प्राप्त हो सकी है। जब तक स्थानीय नागरिक आपदा के प्रति सजग होकर राहत एवं बचाव कार्य में हिस्सा नहीं लेते तब तक आपदा प्रबंधन का उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा।

भारतीय लोकतंत्र में अब तक का महानतम प्रयोग कहा जाने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के सोलह वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरांत, आम जनता की अपेक्षाएं ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के प्रति बढ़ी हैं। ग्रामीण जनता अब पंचायत को सिर्फ विकासात्मक संस्थाओं के रूप में ही नहीं देखती, बल्कि इसे स्थानीय स्तर की समस्त समस्याओं का बेहतर समाधान करने वाले महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में पंचायती राज के सशक्तिकरण के साथ ही यह चिंतन भी शुरू हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्राम स्तरीय सेवाओं में किस प्रकार सुधार किया जाए। इसी

पृष्ठभूमि के आलोक में अचानक घटने वाली आपदाओं या संकटों के समाधान में भी पंचायत को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

वस्तुतः आपदा अचानक घटने वाली वह घटना है जिससे सामान्य जनजीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है। कभी–कभी यह इतनी भयानक होती है कि आम जनजीवन से लेकर जीव–जन्तुओं पर भी कहर ढा जाती है। यद्यपि आपदा रोकी नहीं जा सकती किन्तु अगर जन–साधारण को इनकी विभिषिकाओं से बचने की जानकारी हो, तो नुकसान कम से कम हो सकता है। चूंकि देश की अधिकांश आबादी जो गांवों में रहती है, वह कम पढ़ी–लिखी एवं आपदा संबंधी बचाव के तरीकों से अंजान होती है, उन्हें आपदा संबंधी बातों की व्यापक जानकारी देकर आपदा प्रबंधन में उनकी भागीदारी प्राप्त की जा सकती है। आज की बदली परिस्थिति एवं पंचायती राज के वैधानिक गठन के पश्चात् आपदाओं से निबटने में स्थानीय जागरुकता एवं जन सहभागिता की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है।

आपदा प्रबंधन में पहले आपदा के बाद के सिर्फ बचाव कार्य को ही शामिल किया जाता था, किन्तु अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना तकनीक के वर्तमान दौर में जब हमें कई तरह की आपदाओं की पूर्व सूचना मिल जाती है तो इसके अंतर्गत आपदा के पूर्व किए जाने वाले कार्यों को भी शामिल किया जाने लगा है। जैसे स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन कर आपदा से होने वाली क्षति का आकलन करना तथा योजना निर्माण कर संसाधन की व्यवस्था करना शामिल है। इसके साथ ही आपदा संबंधी गांव, समुदाय, अंचल एवं जिला स्तर पर जागरुकता अभियान तथा सम्प्रेषण कार्यक्रम चलाने एवं व्यक्तिगत हितभागी समूह तथा संबंधित विभाग की जिम्मेदारी निर्धारित कर, प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता वृद्धि आदि करना भी शामिल है। वही आपदा के समय एवं आपदा के बाद मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था करना, बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं वृद्धों को विशेष सुरक्षा प्रदान करना, गन्दगी एवं मलबे की साफ–सफाई की व्यवस्था करना, सड़क मार्ग या आवागमन को सुचारू करना, शरण स्थलों पर चिकित्सा सुविधा एवं शौचालय की व्यवस्था करना तथा खतरे की सूचनाओं आदि का प्रसारण करना आपदा प्रबंधन में शामिल है।

बहरहाल भारत के लगभग सभी राज्य अचानक घटने वाले इस हादसे के शिकार होते हैं। किन्तु देश का उत्तरी भाग इन

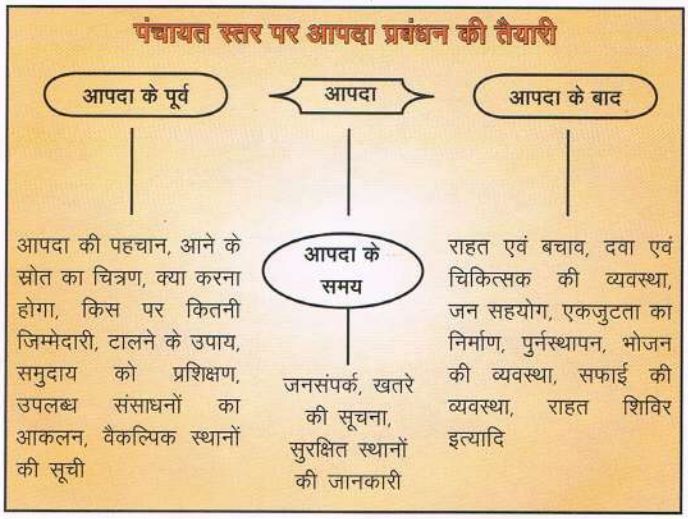

आपदाओं से अत्यधिक प्रभावित होता है। देश के उत्तरी राज्यों में प्राकृतिक एवं मानवजनित दोनों ही प्रकार की आपदा से प्रतिवर्ष भयंकर तबाही होती है। भूगर्भीय एवं भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार की स्थिति अत्यंत संवेदनशील है। ऐसे राज्यों में बाढ़ एवं भूकम्प के अलावा सुखड़, आंधी–तूफान, चक्रवात, शीतलहर, लू, ओलावृष्टि भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही आतंकी हमला, बम विस्फोट, सड़क दुर्घटना एवं नक्सली हमला जैसी मानवजनित आपदाएं समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करती हैं। इस परिस्थिति में भारत सरकार द्वारा यू.एन.डी.पी. के सहयोग से आपदा प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है, जिसमें सरकारी प्रयासों के द्वारा पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन योजना, कमजोर वर्गों की देखभाल, इसकी खोज एवं बचाव के साथ आपदा प्रबंधन योजना, कमजोर वर्गों की देखभाल, इसकी खोज एवं बचाव के साथ आपदा प्रबंधन में लोगों की सहभागिता, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर मूल्यांकन के साथ पंचायत स्तर पर विकास कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है। अब पंचायत का यह दायित्व बनता है कि वे आपदा प्रबंधन की आवश्यक जरूरतों पर कार्य कर आपदा से होने वाली क्षति को कम करें।

पंचायती राज के वैधानिक गठन के पश्चात लगभग सभी राज्यों में ऐसी व्यवस्था की गयी है जिससे पंचायत अपने क्षेत्रों में आपदा के दुष्परिणामों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती हैं। उदाहरणस्वरूप, बिहार पंचायती राज अधिनियम–2006 की धारा 10 (क) के अनुसार, 'ग्राम पंचायतों के कार्यों एवं योजनाओं तथा अन्य कार्यकलापों, जो उस ग्राम से संबंधित हो, का पर्यवेक्षण करने और उनसे संबंधित रिपोर्ट बैठक

में प्रस्तुत करने के लिए ग्रामसभा एक या एक से अधिक निगरानी समितियों को गठित कर सकेगी, जिसमें वैसे व्यक्ति होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो।" इस प्रावधान के तहत ग्रामसभा यदि चाहे तो एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन भी कर सकती है।

अध्याय 3 की धारा 22 के तहत ग्राम पंचायत को निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन का अधिकार दिया गया है :

- पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाओं को तैयार करना,
- वार्षिक बजट तैयार करना,
- प्राकृतिक संकट में सहायक कार्य करना,
- , लोक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना,
- स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना तथा
- गांवों के अनिवार्य सांख्यिकी आंकड़ों का संधारण करना।

उपरोक्त सभी कार्य पंचायत के सामान्य कार्य है, जिनके अंतर्गत ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन पर कार्य कर सकती है। पंचायत अपने क्षेत्र में पहले आई आपदाओं एवं उनसे हुए क्षति के विषय में आंकड़े इकट्ठे करके एक नक्शा बनवा सकती है। इसके बाद इनसे अनुभव लेते हुए बचाव हेतु प्रयास से, भविष्य में आपदा संबंधी नुकसान को कम कर सकती है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित कर उन्हें आपदा के संदर्भ में प्रशिक्षित कर सकती है। ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिया गया है कि अपने क्षेत्र में हुई आगजनी, महामारी या अन्य किसी भी प्रकार के हुए हादसों से प्रभावित परिवार को सहायता प्रदान करें। अध्याय 3 की धारा 33 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के संदर्भ में ग्राम पंचायत के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत सामान्य पहरा तथा निगरानी एवं आकस्मिक घटनाओं यथा बाढ़, बांध में दरार, पुल का टूटना, महामारी का फैलना तथा चोरी या डकैती आदि का सामना करने, सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कार्यों को संपादित करने तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए विहित रीति से नियुक्त एक दलपति के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम रक्षा दल गठित किया जा सकेगा और ग्राम के 18 से 30 वर्ष के बीच के शारीरिक रूप से सभी योग्य व्यक्ति उक्त दल के सदस्य होंगे। ग्राम रक्षा दल के गठन, कर्तव्य एवं उपयोग के लिए सरकार नियम बनाएगी।

इस धारा के अंतर्गत पंचायत, आपदा प्रबंधन एवं संकट समाधान के क्षेत्र में नियोजित ढंग से सब कुछ कर सकती है।

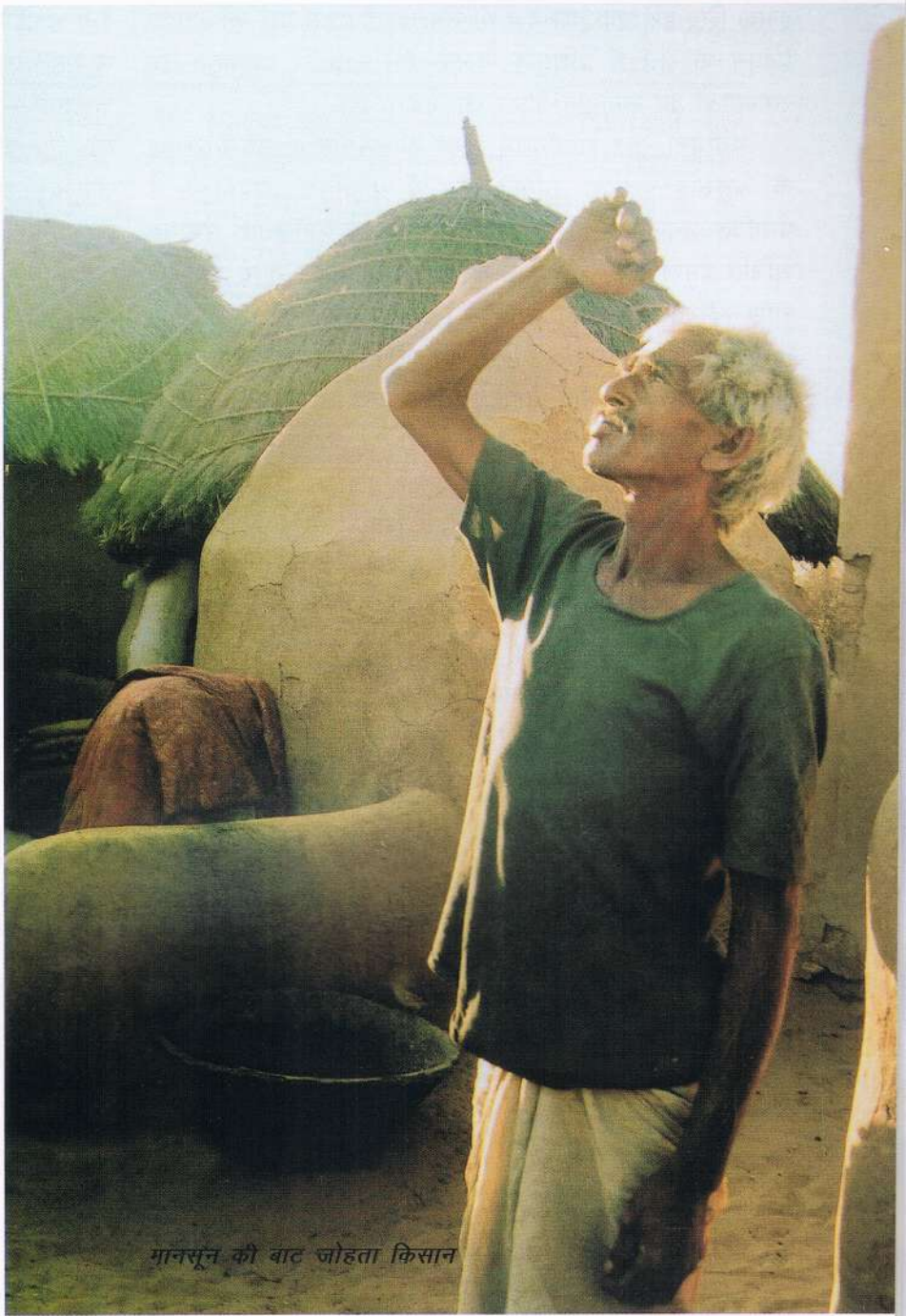

मानसून की बाट जोहता किसान

इसके लिए इसे एक दक्ष दल भी उपलब्ध है। इस दल को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिलवा देने मात्र से ही बहुत–सी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

पंचायती राज अधिनियम 2006 के अध्याय 4, की धारा 42 के अनुसार पंचायत समिति क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जनजीवन को तत्काल राहत देने के प्रयोजनार्थ पंचायत समिति प्रमुख को एक वर्ष में कुल पच्चीस हजार रुपये तक की राशि स्वीकृत करने की शक्ति है। इसी अध्याय की धारा 47 में कहा गया है कि पंचायत समिति, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति को राहत देगी। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में दिए इन प्रावधानों के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पंचायत समिति अपनी विशेष बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित करके जिला परिषद से समाधान के लिए अनुरोध कर सकती है। अध्याय 6, की धारा 69 के तहत जिला में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए उसे एक वर्ष में कुल एक लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत करने की शक्ति होगी। इसके अलावा, धारा 73 के अंतर्गत जिला परिषद के कार्य एवं शक्तियों में यह भी प्रावधान किया गया है कि उपाय के तहत आपदा प्रबंधन के कुछ आयामों पर जिला परिषद पहल कर सकती है। जैसे–सरकार, उसके विभागों एवं अन्य स्रोतों से वह संपर्क कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता की मांग कर सकती है।

इस प्रकार ग्रामीण स्तर पर आपदाओं से निपटने हेतु पंचायतों को एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें पंचायत को तीन तरह के कार्य करने होंगे। एक तो यह कि अपने क्षेत्र में आने वाली आपदाओं की पहचान कर उसका हल ढूंढ़ना होगा तथा दूसरा यह कि आपदा के समय प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों से संपर्क बनाकर सुरक्षित स्थानों की जानकारी देनी होगी एवं अंततः आपदा के बाद जख्मी लोगों को हर प्रकार से राहत एवं बचाव कार्य की सेवा देनी होगी। इस प्रकार आपदा के तीनों स्तर पर पंचायत अपनी सूझ–बूझ से होने वाली क्षति को कम कर सकती है। पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन की सफलता सबसे अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि जन सहभागिता किस तरह की और किस हद तक प्राप्त हो सकी है। जब तक स्थानीय नागरिक आपदा के प्रति सजग होकर राहत एवं बचाव कार्य में हिस्सा नहीं लेते तब तक आपदा प्रबंधन का उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा। अतः पंचायत प्रतिनिधियों एवं प्रशासकों का यह दायित्व है कि वे नागरिकों से अपील कर तथा उन्हें जागरूक कर आपदा संबंधी कार्यों में अधिक से अधिक हिस्सा लेना सुनिश्चित करें।

किन्तु अभी तक अधिकांश पंचायतें आपदा प्रबंधन की आवश्यक कार्रवाई को कोई ठोस स्वरूप नहीं दे सकी हैं। पंचायती राज संस्थाओं की एकमात्र चिंता अधिक से अधिक निर्माण कार्य स्वीकृत कराकर उनका क्रियान्वयन करना रहा है। कुछ विद्यालय भवन या कुछ अतिरिक्त कमरे, आंगनबाड़ी भवन, कुछ उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन, कुछ किलोमीटर सड़कें, खरंजा व नालियां निर्माण कराने तक ही पंचायत ने अपनी भूमिका सीमित कर ली है और दूरगामी परिणाम देने वाले कार्यों जैसे–पर्यावरण विकास, वृक्षारोपण, भूमि व जल संरक्षण, कृषि विस्तार सेवाओं, सार्वभौमिक शिक्षा और साक्षरता, आपदा पूर्व की जाने वाली तैयारियों आदि की तरफ अपेक्षित ध्यान नहीं दे सकी हैं। यदि पंचायती राज संस्थाएं आपदा प्रबंधन की तमाम चुनौतियां का दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ सामना कर लेती हैं, तो निश्चय ही पंचायती राज एक वरदान साबित हो सकता है।

(लेखक 'केवल सच' पत्रिका के मुख्य रिपोर्टर हैं।)
ई–मेल : nirmalanand12@sify.com

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 2057 करोड़ रुपये की वृद्धि

वित्तमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में वर्ष 2009–10 का बजट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 2057 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। अंतरिम बजट में इसके लिए 12,070 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे।

वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित की गई थी और इसकी शुरुआती अनुक्रियाएं काफी अच्छी रही थी। 18 राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के 46 लाख से भी अधिक गरीबी से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी कर दिये गये हैं। इस योजना से गरीब परिवार निजी अस्पतालों सहित अन्य अस्पतालों की सूची में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का अस्पताल चुनने में स्वतंत्र हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबी से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी परिवारों को इसमें शामिल करेगी और इसके लिए 350 करोड़ रुपये मुहैया कराये जा रहे हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। **(पसूका)**

आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज और स्वयंसेवी संगठन

डॉ. उदयसिंह

जनजातीय पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए कई कार्य स्वयंसेवी संगठनों को करने होंगे। समाज में पायी जाने वाली कुरीतियों व गुटबाजी को दूर करना होगा तथा आदिवासियों को विश्वास में लेकर सुधार के रास्ते मिलजुल कर तय करने होंगे। स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं को अधिकांश समय समाज के मध्य बिताकर विकास में बाधक तत्वों, कारणों व उनके निदान पर चर्चा करनी होगी। छोटे से छोटे स्तर पर नीति निर्माण से लेकर नीति के क्रियान्वयन में आदिवासियों की सहभागिता को बढ़ाना होगा ताकि विकास की इच्छा समुदाय के हृदय में जगे। इसके साथ-साथ एक ही क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को आपसी सामंजस्य बढ़ाना होगा और अपने संसाधनों तथा ज्ञान का आदान-प्रदान करते हुए मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए जुटना होगा। सरकार को भी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ ईमानदारीपूर्वक जनजातीय पंचायतों व स्वयंसेवी संगठनों को सहयोग देने के साथ-साथ अनावश्यक हस्तक्षेप कम करना होगा।

भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग शहरी एवं ग्रामीण सभ्यता से दूर जंगलों, पर्वतों, घाटियों तथा दुर्गम स्थानों में निवासित है जिनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक स्थिति आज भी अन्य विकसित समुदायों की तुलना में अत्यन्त पिछड़ी है। इस समुदाय को आदिवासी, वनवासी तथा संवैधानिक शब्दावली में "अनुसूचित जनजाति" के नाम से जाना जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण भारत में 84,326,248 आदिवासी जनसंख्या है जोकि कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत है। सम्पूर्ण भारत में 425 जनजातीय समूह निवास करते हैं इनमें से 75 को विशेष पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा द्वारा जनजातियों की पिछड़ी पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए वर्जित तथा आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्रों (असम को छोड़कर) के प्रशासन के लिए दो

उपसमितियां गठित की गई। इन समितियों के प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा हुई और इस बात पर सहमति बनी कि आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन को अलग ढंग से देखने और समझने की जरूरत है। तदानुसार संविधान के भाग 10 में जनजातियों के लिए पृथक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया। सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्रों को दो भागों–जनजातीय क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में विभाजित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 244 तथा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 244(1) तथा पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पृथक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान जनजातीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है।

73वें संविधान संशोधन के बाद जनजातीय समुदायों का विधि सम्मत नियन्त्रण तो पंचायती राज संस्थाओं पर कायम हो गया है किन्तु प्रशासनिक जटिलता तथा सीमित वित्तीय अधिकार अभी भी बाधक बने हुए थे। कुल मिलाकर यह विधान आदिवासी समुदायों को अपने गृह क्षेत्र में सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों का अन्तिम नियन्ता नहीं बना पाया है। यह आवश्यकता सदैव महसूस की जाती रही कि अनुसूचित क्षेत्रों का संस्थागत ढांचा आदिवासियों की आवश्यकताओं, उनकी प्रकृति एवं आदिवासी संस्थाओं, जिनसे कि यह लोग सदियों से जुड़े हैं, के अनुरूप होना चाहिए। चूंकि आदिवासी समुदाय की अपनी जीवनशैली है, विशिष्ट रीति–रिवाज हैं, अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान तथा साथ रहने एवं विवादों के समाधान की अपनी प्रथाएं हैं। साथ ही, संविधान निर्माण के समय से ही इनकी पृथक प्रशासनिक व्यवस्था पांचवीं एवं छठी अनुसूची में की गयी है। अतः 73वें संविधान संशोधन के बाद भी इनकी पृथक व्यवस्था हो।

इन सभी व्यावहारिक तथा वैधानिक समस्याओं के समाधान को विधि सम्मत मान्यता देने के उद्देश्य से दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 10 जून 1994 को 22 विशेषज्ञों की एक समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया। समिति को जो मुद्दे सौंपे गये थे उनमें से प्रमुख मुद्दा यही था कि भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अन्य संशोधन क्या हो सकते हैं।

भूरिया समिति ने जनवरी 1995 में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया। इस समिति के सुझावों को आधार मानकर भारत सरकार द्वारा 24 दिसम्बर 1996 को नया "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996" पारित किया गया। तदानुसार इस अधिनियम का क्रियान्वयन देश के अनुसूचित क्षेत्र वाले 9 राज्यों में भिन्न–भिन्न समय में हो चुका है।

अधिनियम का महत्व

इस अधिनियम को पारित करने के मूल में यह मंशा रही है कि इससे जनजातीय समाज की परम्परागत स्वशासी व्यवस्था और आधुनिक औपचारिक संस्थाओं के बीच पनपी विसंगतियां समाप्त होंगी जो जनजातीय समाज में भड़कते विद्रोह का मूल कारण रही है। साथ ही, इस अधिनियम का दोहरा लाभ अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को मिलेगा। एक तरफ ये पंचायतें लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का लाभ लेंगी वहीं दूसरी ओर अपनी सांस्कृतिक एकता एवं परम्पराओं को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने में भी सहायक होंगी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस नये कानून के तहत् राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायती राज प्रणाली को आदिवासी समाज की बुनियादी परम्पराओं तथा प्रथागत कानून के अनुरूप ढाला गया और आदिवासी समुदाय की परम्परागत 'जाति पंचायत' को ही कानूनी रूप में ग्रामसभा का दर्जा दिया गया है। जहां सब लोग एक जगह बैठकर आपस में मिल–जुल कर स्वेच्छा से सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक फैसले लेने में सक्षम हो। इसके अतिरिक्त आदिवासी समुदाय में पायी जाने वाली कुरीतियां जो इस समुदाय को आर्थिक रूप से पंगु बनाकर ऋणग्रस्तता के जाल में फंसाती हैं, ग्रामसभा में उन पर विचार होगा तथा ग्रामसभा उन पर रोक लगा सकेगी। गांव में होने वाले छोटे–मोटे वाद–विवाद पुलिस थानों में न जाकर ग्रामसभाओं में सुलझाए जाएंगे, जो समुदाय को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करेंगे। गांव में शासन द्वारा संचालित विभागों यथा स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र आदि ग्राम पंचायत के नियन्त्रण में होंगे जिसके कारण ये रोजाना खुलेंगे। एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में ग्रामसभा व ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी क्योंकि अब सम्पूर्ण गांव की जगह फलियों (आदिवासी बस्ती/मौहल्ला) में ग्रामसभा की बैठक होगी जहां महिलायें ग्रामसभा की बैठकों में भागीदारी के साथ–साथ अपनी बात भी रखेंगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह अधिनियम एक ओर अगला कदम होगा।

लोगों में जागरुकता लानी जरूरी

मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला आदिवासी बहुल होने के साथ–साथ पूर्णतः पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत आता है। इस जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत पोड़की तीन गांवों उमरमोहन, भुण्डाकोना और पोड़की की सम्मिलित ग्राम पंचायत, है। इस ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती विद्यावती मरावी हैं जो कक्षा आठवीं तक पढ़ी हैं तथा इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही निम्न है। पंचायती राज व्यवस्था के सन्दर्भ में प्रक्रिया समझ में नहीं आती। अतः ग्राम स्तर के कुछ कार्य इनके स्वयं के द्वारा व जनपद एवं जिला पंचायत स्तर के कार्य इनके पति के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। पति के द्वारा लिए गए निर्णयों में इनकी पूर्ण सहमति होती है। ग्रामसभा की बैठकों के सन्दर्भ में इसका कहना था कि बार–बार बुलाने पर भी कुछ ही लोग बैठक में आते हैं। लोगों के न आने के कारण कोरम पूरा नहीं होता और बहुत से निर्णय कुछ ही लोगों की सहमति से लेने पड़ते है। ग्रामसभा की बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति तो रहती है किन्तु वे पंचायत के एक कोने में घूंघट डालकर बैठी रहती हैं क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्ग वहां उपस्थित रहते हैं। अपने बारे में इन्होंने बताया कि मैं भी वहां पर बहुत कम बोलती हूं। बड़े लोग जो निर्णय लेते हैं वे सभी को स्वीकार्य होते हैं। पेसा एक्ट, 1996 तथा इसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को मिली शक्तियों के बारे में इन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की।

आपने नरेगा के क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली कई बाधाओं जैसे–निरन्तर कार्य का न चलना, समय पर धन न मिलना, जनपद स्तर के कर्मचारियों और नेताओं के साथ–साथ कार्य का मूल्यांकन करने के लिए इंजीनियर द्वारा कमीशन की मांग करना आदि को प्रमुख रूप से बताया है। नरेगा के क्रियान्वयन में श्रीमती मरावी ने एक और महत्वपूर्ण समस्या बताई कि हितग्राहियों के बैंकों में खाते होने की वजह से तीन–चार माह तक का समय लग जाता है क्योंकि 15 से 20 पंचायतों के खाते एक बैंक में होते हैं। बैंक के कर्मचारी इन लोगों को यह कहकर वापस लौटा देते हैं कि बैंक में कर्मचारी कम होने की वजह से एक साथ इतने लोगों के पैसे नहीं निकाल सकते। अतः एक सप्ताह बाद आना। हितग्राही अपने पारिश्रामिक का कुछ हिस्सा तो बसों के किराये में खर्च कर देते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक खाते में कम से कम 500 रुपये होना अनिवार्य है। यदि मजदूर ने 15 दिन तक कार्य किया तो उसे 1050 रुपये के आसपास मजदूरी मिलेगी। इस पैसे में से यदि 500 रुपये बैंक में जमा रह जाते हैं और कुछ बैंकों के चक्कर लगाने में खर्च हो जाते हैं तो मजदूरों के हाथ में तो बहुत कम राशि आएगी। इन कारणों की वजह से मजदूर ठगा–सा महसूस करता है।

वन अधिनियम के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में श्रीमती मरावी का कहना है कि ग्रामसभा में कुछ लोगों के दावों पर विचार करने के उपरान्त उन्हें जनपद पंचायत में भेज दिया है किन्तु महत्वपूर्ण समस्या सबूतों की है। ग्रामसभा यह जानती है कि किस जमीन पर किस व्यक्ति का मालिकाना हक है किन्तु उस व्यक्ति के पास सबूत देने के लिए न तो पावती है और न ही जुर्माने की रसीद।

पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने के सन्दर्भ में इनका मत है कि शासन को लोगों का सूचना तन्त्र मजबूत करना होगा, लोगों में जागरुकता लानी होगी। इसके अतिरिक्त उचित प्रशिक्षण के साथ–साथ भ्रष्टाचार पर लगाम कसनी होगी।

ग्रामसभा की शक्तियां

इस अधिनियम के द्वारा ग्रामसभा को कई महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई जो निम्न हैं –

- ग्रामसभा द्वारा जनसामान्य के रीति–रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना तथा गांव में होने वाले छोटे–मोटे विवादों को परम्परागत तरीके से हल करना;
- वे सब योजनाएं, कार्यक्रम और परियोजनाएं जो गांव के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए बनायी जाएंगी, उनका अनुमोदन करना;
- गरीबी उन्मूलन एवं अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं हेतु लाभार्थियों की पहचान व चयन करना;

- पंचायत की ओर क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र देना;
- ग्रामसभा द्वारा भूमि कटाव रोकने, ग्रामीण हाट बाजारों, पशु मैला एवं लघु वन उपज का प्रबन्धन करना;
- लघु खनिज पदार्थों के खनन की अनुमति या पट्टे देना,
- गांव में स्थित स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य कार्यालय तथा अन्य शासकीय कार्यालयों पर नियन्त्रण रखना;
- ग्रामसभा को गांव में शराबबन्दी करने, जलाशय एवं सिंचाई प्रबन्धन, मछली पालन, साहूकारी प्रथा पर रोक लगाने, ग्राम पंचायत की सीमा में पाये जाने वाले वनों का प्रबन्धन एवं विकास करने जैसे कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गये हैं।

उपर्युक्त सारे अधिकारों का प्रयोग ग्राम स्तर पर ग्रामसभा व ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा।

नरेगा के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जोकि वर्तमान में देश के सभी 596 जिलों में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत गांव के जरूरतमंद प्रत्येक जॉब कार्डधारी परिवार के एक सदस्य को प्रति वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना अधिनियम के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। योजना के क्रियान्वयन का दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है जिसमें ग्रामसभा की केन्द्रीय भूमिका है। लाभार्थियों का चयन करना, जॉब कार्ड बनाना, लाभार्थियों के खाते बैंक या डाक घर में खुलवाना, कार्य का चयन करना, कार्यों का सतत निरीक्षण करना, सामाजिक अंकेक्षण, मस्टर रोल, बिल, वाउचर के अतिरिक्त समुदाय के सहयोग से मूल्यांकन एवं निगरानी समितियों का गठन करना, आवश्यकता पड़ने पर इन समितियों में स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को भागीदार बनाना तथा अपने कार्यों में पारदर्शिता लाना एवं जनता के प्रति जवाबदेह भी इन्हीं संस्थाओं को बनाया गया है। कुल मिलाकर पूर्व में चलायी गई योजनाओं की असफलता के कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा योजना की प्रत्येक कड़ी को कानूनी रूप दिया गया एवं पंचायतों के तीनों स्तरों को सशक्त किया गया है।

वन अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका

आदिवासियों और वनवासियों को मौजूदा अन्याय से मुक्ति दिलाने और उनके पारम्परिक वन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से संसद ने 18 दिसम्बर, 2006 को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 पारित किया तथा 29 दिसम्बर, 2006 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद एक जनवरी 2008 को इसे सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। इस कानून में आदिवासियों और वनवासियों को उनके कब्जे वाली वन भूमि पर खेती करने का अधिकार, उसका मालिकाना हक, छोटे–छोटे वन उत्पादों का संग्रहण व उन्हें बेचने, वन में मवेशियों को चराने जैसे पारम्परिक काम करने का अधिकार दिया गया तथा इन सारे नियमों को अमल में लाने का जिम्मा ग्राम पंचायतों को सौंपा गया।

इस कानून के अनुसार किस वन भूमि पर किसका अधिकार होगा, यह तय करने में ग्रामसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ग्रामसभा वन भूमि से सम्बन्धित सभी दावों को प्राप्त करने के बाद उनकी पुष्टि करेगी, क्षेत्र का नक्शा तैयार करेगी और फिर एक प्रस्ताव पारित कर उनकी एक प्रति उपमंडल स्तर की समिति को भेजेगी। जिन लोगों को पूर्व में वनों से गैर–कानूनी तरीके से बेदखल किया गया था उनका समुचित पुर्नवास करना भी ग्रामसभा की जिम्मेदारी होगी। अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ग्रामसभा द्वारा वन समिति के गठन का प्रावधान भी किया गया है। इसके सदस्यों की संख्या 10 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी तथा इन सदस्यों में दो तिहाई महिलाएं होगी। इस समिति का गठन ग्रामसभा अपनी पहली बैठक में करेगी।

अधिनियमों के क्रियान्वयन की वास्तविकता

उपर्युक्त अधिनियमों के परिपालन में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की कार्यप्रणाली का वास्तविकता के धरातल पर परीक्षण किया जाए तो स्थितियां किसी भी सन्दर्भ में सन्तोषजनक नहीं हैं। यह सही है कि सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक शक्तियां और अधिकार प्रदान किए हैं किन्तु तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इनके विकास की गति काफी धीमी रही है। पुनः यह बात सामने आ रही है कि योजनाओं और अधिनियमों के सन्दर्भ में आदिवासी समुदाय की जानकारी का स्तर बहुत न्यून है। ग्रामसभा एक महत्वपूर्ण निकाय होने के बावजूद समय पर बैठकों का न होना, कोरम की पूर्ति न होना आज भी समस्या बनी हुई है। ग्रामसभा व पंचायतों की बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति, बैठक में चर्चा व निर्णयों में सहभागिता का स्तर बहुत न्यून है। कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों को छोड़कर अधिकांश जगह महिलाओं की स्थिति मात्र हस्ताक्षर करने भर तक सीमित है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन, परम्पराओं और रीति–रिवाजों के संरक्षण तथा कुरीतियों के उन्मूलन के सन्दर्भ में भी इन संस्थाओं के कार्य उल्लेखनीय नहीं है। जो कार्य विभिन्न समितियों के माध्यम से होने चाहिए थे, वे समितियां अस्तित्व में ही नहीं आयी हैं। शासन ने इन क्षेत्रों की पंचायतों को ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभागों

यथा– शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और महिला एवं बाल विकास विभाग के जमीनी कार्यकर्ताओं को नियन्त्रित करने के अधिकार प्रत्यायोजित किए हैं किन्तु अधिकांश लोगों को इनकी जानकारी नहीं है। कुछ प्रतिनिधियों को इनकी जानकारी अवश्य है किन्तु उनमें शिक्षक, पटवारी, ग्रामसेवक, स्वास्थ्यकर्मी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर नियन्त्रण स्थापित करने की क्षमता का अभाव दिखाई देता है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शासन ने कानूनी रू प से तो इन्हें सशक्त किया है किन्तु इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए समुदाय को जानकारियों से सुसज्जित करना, उनको प्रशिक्षित करना, नेतृत्व क्षमता विकसित करना, सहभागी तरीके से कार्य करने का कला–कौशल प्रदान करना, उनको क्षमतावान बनाने जैसी गतिविधियों का अभाव दिखाई देता है। इन बाधाओं को दूर करने की क्षमता स्वयंसेवी संगठनों में दिखाई देती है।

स्वयंसेवी संगठनों की आवश्यकता क्यों?

अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। गांव के विकास की योजनाएं बनाना, जल, जंगल और जमीन का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा सामाजिक सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जैसे कई कार्य इन पंचायतों को सौंपे गये हैं। एक ओर इतनी अधिक जिम्मेदारियों का मिलना वहीं दूसरी ओर जनजातीय समुदाय का सदियों से पिछड़ा होना निश्चित रूप से पंचायती राज के समक्ष कई चुनौतियां खड़ी करता है। अब तक हुए अधिकांश अध्ययनों में यह बात स्पष्ट रूप सें उभरकर सामने आयी है कि पंचायतों को कानूनतः मिली जिम्मेदारियों को वहन करने में यह समुदाय अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामसभा सदस्यों के समक्ष जो कठिनाईयां आ रही हैं उनमें मौटे तौर पर कानूनी प्रावधानों की जटिलता, इन कानूनों के सन्दर्भ में लोगों की अज्ञानता, वित्तीय, प्रशासनिक, विकास एवं नियोजन, नियन्त्रण, मूल्यांकन और समन्वय जैसे तकनीकी कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक ज्ञान का अभाव मुख्य कठिनाईयां है।

आदिवासी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा बदले हुए परिवेश में पंचायतों को सफल, प्रभावकारी और सक्रिय बनाने के लिए आवश्यकता व्यावहारिक प्रयोगों के दौरान आने वाली कठिनाईयों को दूर करने की है। जनजातीय पंचायत प्रतिनिधियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करना, पंचायतों की कार्य प्रक्रिया से उनको अवगत कराना, आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही निरन्तर प्रशिक्षण देना तथा पंचायतों के द्वारा विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान उसी समय सुलझाने जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं की नितान्त आवश्यकता है। इन सारी सेवाओं को उपलब्ध कराना अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार की अपनी सीमाएं, समस्याएं और कमजोरियां हैं। यही पर स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका बहुत प्रभावी हो जाती है। वस्तुतः विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों को सफल बनाने में जनता की भागीदारी बहुत जरू री है। यह कार्य कानूनों के दायरे में बंधकर सरकारी अधिकारी व कर्मचारी उतने अधिक अच्छे तरीके से नहीं कर सकते जिस तरह से स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता कर सकते हैं क्योंकि ये बाहरी दबावों व नियन्त्रणों से मुक्त होते हैं। स्वयंसेवी संगठनों के पास समुदाय को संगठित करने, जनसहभागिता जुटाने, आदिवासियों का विश्वास पाने, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने तथा कम खर्च में कार्यों को पूर्ण करने का कौशल होता है। जब ये संगठन किसी लक्ष्य को लेकर अपना कार्यक्षेत्र चुनते हैं तो सर्वप्रथम इनके कार्यकर्ता वहां के निवासियों के बीच पहुंचकर उनकी संस्कृति, सामाजिक परम्पराओं, मान्यताओं और जन विश्वासों को जानते–समझते हैं, उनके बीच रहकर अपनी पहचान बनाते हैं, मित्रवत व्यवहार कर विश्वास प्राप्त करते हैं। उसके बाद अपनी योजना को समुदाय के बीच रखते हैं। विश्वास निर्माण की यह पूरी प्रक्रिया इतनी मजबूत होती है कि आदिवासी स्वयं इन संगठनों को अपना हितेषी मानते हुए इनके द्वारा सुझाये गए मार्ग पर चलने को सहर्ष तैयार हो जाते हैं।

इन संगठनों की कार्यविधि में लचीलापन और तीव्र निर्णय की प्रक्रिया होती है क्योंकि संगठन छोटा होता है और तृणमूल स्तर की स्थितियों को देखते हुए निर्णय लिए जा सकते हैं। अर्थात इन संगठनों में नीति बनाने वाले ही उसका क्रियान्वयन करते हैं। अतः वे ज्यादा जवाबदेह, वास्तविकता के नजदीक तथा क्रियान्वयन की समस्या से रूबरू होते हैं। इसके अतिरिक्त इन संगठनों के द्वारा कार्यों के चयन, क्रियान्वयन तथा उसके रखरखाव आदि सभी महत्वपूर्ण कार्य समुदाय को केन्द्र में रखकर किये जाते हैं।

स्वयंसेवी संगठनों की कार्यप्रक्रिया की इन विशेषताओं के कारण समाज के प्रत्येक क्षेत्र में इनकी भूमिका बढ़ी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठन सहभागी हुए हैं। आदिवासी समुदाय के विकास के सन्दर्भ में तो इन संगठनों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह समुदाय प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ा होते हुए समाज की अन्तिम पंक्ति में खड़ा है। साथ ही, देश, समाज से भिन्न इसकी समस्याएं और आवश्यकताएं हैं।

(लेखक इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्यप्रदेश में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता हैं।)

ई–मेल : sr_uday20@rediffmail.com

पंचायतों में महिलाओं की सकारात्मक हिस्सेदारी

रोली शिवहरे

महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि 'महिलाएं पर्यवेक्षण कार्यों एवं अहिंसा के लिए उठाए गए कदमों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होती हैं।' गांधीजी महिलाओं की सत्ता के पक्षधर भी रहे हैं और उनकी इस सोच को महिलाएं स्थापित भी कर रही हैं। महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर सही मायने में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। घर के कामकाज से बाहर आकर आज महिलाएं सत्ता के मैदान में भी अपना परचम फहरा रही हैं।

पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, समर्पण व कार्यकुशलता से सभी को परिचित करा दिया है। विधानसभा और संसद में सीमित साझेदारी के बावजूद उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2004 में हुए पंचायत चुनाव में 7,707 महिला सरपंच निर्वाचित हुई एवं 1,23,964 महिलाएं पंच के पद पर विराजमान हुईं। पितृसत्तात्मक समाज में पहले तो महिलाओं द्वारा सत्ता चलाना ही अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है और इन परिस्थितियों में मिसाल कायम करना और भी महत्वपूर्ण है। आरक्षण का सकारात्मक मूल्यांकन करना हो तो छिंदवाड़ा जिले की तिनसई पंचायत की अमोसा बाई, मनकवाड़ी पंचायत की महावती बाई, भुमका पंचायत की सहवती बाई और कोठिया पंचायत की हड़सों बाई को पैमाना बनाया जा सकता है। इस दौरान न केवल उनका स्वयं का सशक्तिकरण हुआ है बल्कि इन सबने गांव की तस्वीर बदलने की भी पुरजोर कोशिश की है।

इन महिलाओं द्वारा शांति, सुशासन के साथ–साथ महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, शराबखोरी इत्यादि अनेक सामाजिक समस्याओं के राजनीतिक हल ढूंढे गए हैं और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है। इनके लिए राजनीति मात्र सुख भोगने का जरिया नहीं बल्कि समाज में गैर–बराबरी को खत्म करने एवं न्याय और समता को स्थापित करने का माध्यम है।

छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील की मनकवाड़ी पंचायत की महावती बाई कहती हैं कि पहले तो हम घर से बाहर नहीं निकलते थे परन्तु अब हमें खेत भी देखना पड़ता है और पंचायत भी। वे बताती हैं 'गांव में सरपंच महिला सीट घोषित होने की वजह

से ही उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला। सरपंच पद पर जीतने के बाद सबसे पहले गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों एवं पेंशन वंचितों को इंदिरा आवास एवं गरीबी रेखा का कार्ड दिलवाने का कार्य किया।' जब महावती बाई से पूछा गया कि उन्होंने सरपंच बनने के बाद सबसे अच्छा कार्य कौन–सा किया है तो वे बड़े गर्व से बताती हैं कि अब मेरे गांव में बच्चे शाला में भूखे नहीं रहते और गांव में एक प्राथमिक शाला है जिसमें मध्यान्ह् भोजन बनाने का कार्य स्वयंसहायता समूह को दिया गया है परन्तु कई बार समूह के पास पैसा नहीं होने की वजह से मध्यान्ह् भोजन नहीं बनता था तथा बच्चे भूखे रहते थे। जब मुझे यह बात पता चली तो मैंने तुरंत ग्रामसभा बुलाई और यह तय किया कि जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तब पंचायत और समुदाय इसमें सहायता करेगा। सिर्फ यही नहीं उनके प्रयासों से गांव में माध्यमिक शाला के निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया है।

तिनसई पंचायत की अमासो बाई ने भी गांव में शराबबंदी करवाकर ऐतिहासिक काम किया है। गांव के लोग जो कुछ कमा कर लाते थे वह या तो शराब में गंवा देते थे या फिर थाने में खर्च हो जाता था। ऐसे में अमासो बाई ने गांव में शराबबंदी की ठान ली। ग्रामसभा में शराबबंदी के विषय में चर्चा की। गांव की महिलाओं ने भी उनका समर्थन किया। तत्पश्चात् ग्रामसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि गांव में जो भी सार्वजनिक रूप से शराब पिएगा, उस पर 2000 रुपए का जुर्माना, जो खरीदेगा उस पर 1000 रुपए का जुर्माना एवं जो इसकी खबर पंचायत को देगा उसको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस वर्ष होली के त्यौहार के समय दो लोगों में शराब पीने के बाद झगड़ा हो गया। झगड़े के अगले ही दिन ग्राम सभा ने दोनों लोगों को 2000 रुपए का जुर्माना किया। अब तिनसई में सार्वजनिक रूप में शराब नहीं पी जाती। अमासो बाई बताती हैं कि गांव में पहले एक शराब की दुकान हुआ करती थी परंतु महिलाओं ने मिलकर उसे भी बंद करवा दिया है।

भुमका पंचायत की सहवती बाई ने भी अपनी पंचायत के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिसके लिए उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। रोजगार गारंटी के विषय में उनकी सोच तारीफ के काबिल है। उनका सोचना है कि यदि लोगों को गांव में ही काम मिलेगा तो वो पलायन नहीं करेंगे। उनके अनुसार गांव का पुराना सचिव धन की हेराफेरी करता था। इसलिए शिकायत करके उसे सचिव पद से हटवा दिया। एक महिला सरपंच होने के नाते सहवती बाई ने नरेगा में आ रही प्रशासनिक दिक्कतों को भी बताया कि कैसे उन्हें बार–बार पटवारी से नए काम की फाइल बनवाने के लिए गुजारिश करनी पड़ती है। सहवती बाई कहती हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें अब पहचान का संकट नहीं है। आज अगर गांव के किसी भी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि गांव की सरपंच कौन है तो वो सहवती बाई का नाम बता देता है। अब लोग उन्हें उनके पति के नाम से नहीं बल्कि स्वयं उनके नाम से जानते हैं।

हड़सो बाई ने तो कोठिया पंचायत की सरपंच बनने के तुरंत बाद गांव के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। वे बड़े उत्साह के साथ कहती हैं कि सरपंच बनने के बाद मुझे राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिला। वह इस बार भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं भले ही सीट महिला की हो या नहीं।

स्थानीय निकायों में तो महिला पंचायत प्रतिनिधियों को 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया लेकिन जहां से नीतियों का निर्धारण होता है, कानून बनते हैं वहां महिलाओं के राजनैतिक आरक्षण का मामला वर्षों से उलझा पड़ा है। वैसे कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में इसे पारित करने का वादा किया है और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार के 100 दिन के कार्यक्रम में भी इस पर कार्यवाही के संकेत दिए हैं।

महिलाओं ने पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक में राजनैतिक सवालों के बड़े ही अर्थपूर्ण जवाब तैयार किए हैं। उन्होंने न केवल उस मान्यता को तोड़ा है जिसमें लोग कहते थे कि महिलाएं सत्ता का संचालन नहीं कर सकती हैं बल्कि उन्होंने इसके बरकस नए प्रतिमान भी स्थापित किए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आरक्षण को लेकर राजनैतिक दलों की अपनी तैयारी कितनी है? पिछली तीन लोकसभाओं में टल रहे इस विधेयक को कब स्वीकृति मिल पाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

(लेखिका विकास संवाद भोपाल से संब) हैं।)

ई–मेल : rollyshivhare@gmail.com

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (Krutidev 010 CD में) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। **कुरुक्षेत्र** में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख वरिष्ठ संपादक, **कुरुक्षेत्र** कमरा नं. 655, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

आम बजट 2009–10

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 6 जुल
किया। बजट में भारतीय अर्थव्यव
प्रभाव का सामना करने के लि
तीन संकेन्द्रित प्रोत्साहन पैके
परियोजनाओं पर व्यय बढ़ाने
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रि
के उपाय किए गए हैं। इस
विकास पथ पर अग्रसर करने
दर प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत हासि

- भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा पिछले दस वर्षों में तेजी से बदला है। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक हो गया और अन्य व्यापार का हिस्सा दुगुना होकर 2008–09 में सकल घरेलू उत्पाद के 38.9 प्रतिशत पर पहुंच गया।
- समावेशी विकास के एजेंडे को सुदृढ़ और व्यापक बनाना।
- सरकार का वितरण तंत्र बेहतर बनाना।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान 2008–09 की तुलना में बजट अनुमान 2009–10 में 23 प्रतिशत की वृद्धि और रेलवे के लिए अंतरिम बजट अनुदान में 2009–10 में 10,800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करके बजट अनुदान 2009–10 में 15,800 करोड़ रु. आबंटित।
- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत बजट अनुमान 2008–09 में 87 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके बजट अनुदान 2009–10 में 12,887 करोड़ रु. का आबंटन। शहरी गरीबों के लिए आवास तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान में बढ़ोतरी करके बजट अनुदान 2009–10 में 3,973 करोड़ रुपये करना। इसमें घोषित की गई नई स्कीम "राजीव आवास योजना" का प्रावधान शामिल है।
- ब्रिमस्टोवा परियोजना के लिए प्रावधान करने की शुरुआत 2007 में हुई। मुंबई बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए इसका वित्तपोषण केन्द्रीय सहायता के माध्यम से होना है।
- इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रावधानों में बढ़ोतरी करके अंतरिम बजट 2009–10 में 200 करोड़ रु. से बजट अनुदान 2009–10 में 500 करोड़ रु. किए।
- त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के तहत आबंटन में बजट अनुदान 2008–09 के मुकाबले 160 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके बजट अनुदान 2009–10 में 2,080 करोड़ रु. किया गया।
- बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों को वर्धित निर्यात ऋण और गारंटी निगम (ईसीजीसी) को 95 प्रतिशत कवर करने के लिए समायोजन सहायता योजना को मार्च, 2010 तक आगे बढ़ाया गया है।
- बाजार विकास सहायता योजना के तहत आबंटन बढ़ाकर बजट अनुमान 2009–10 में 124 करोड़ रुपये किया गया है।
- प्रिंट मीडिया को प्रोत्साहन पैकेज के तहत डीएवीपी विज्ञापनों पर 15 प्रतिशत एजेंसी कमीशन की माफी दी गयी और डीएवीपी दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि विशेष राहत के रूप में प्रदान की जाएगी। यह पैकेज गैर–सरकारी विज्ञापनों

की मुख्य विशेषताएं

**को आम बजट 2009–10 पेश
र वैश्विक मंदी के नकारात्मक
कार ने कर राहत के रूप में
दान करने और सरकारी
हल की है। इसके साथ ही
हजीकरण और नकदी बढ़ाने
में अर्थव्यवस्था को यथाशीघ्र
कल घरेलू उत्पाद की विकास
ने का लक्ष्य रखा गया है।**

में राजस्व हानि के दस्तावेजी प्रमाण के अधीन होगा और इसे 30 जून, 2009 से आगे बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2009 तक किया गया है।

- पेट्रोल और डीजल के घरेलू मूल्य वैश्विक मूल्यों के अनुरूप रहे इसके लिए सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की व्यवहार्य और धारणीय प्रणाली के संबंध में सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन करेगी।
- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कम से कम 51 प्रतिशत की सरकारी इक्विटी को बनाए रखते हुए, विनिवेश कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पूर्व अनुमोदन के बिना ही सूचित करके ऑफसाइट एटीएम स्थापित करने की अनुमति दी गई है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत यह सुनिश्चित करना के लिए कि ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाला प्रत्येक परिवार 3 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह 25 किलो चावल अथवा गेहूं का हकदार हो। खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर सार्वजनिक बहस के लिए इसे खाद्य एवं सार्वजनिक विवरण विभाग की वेबसाइट पर भी रखा जाएगा।
- एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत, मार्च 2012 तक छः वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक सभी एकीकृत बाल विकास सेवा का विस्तार किया जाएगा।
- अल्पसंख्यकों के कल्याण के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के आयोजन परिव्यय में बजट अनुमान 2008–09 में 74 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2009–10 में 1,740 करोड़ रुपये किया। इसमें अल्पसंख्यकों के बहु–क्षेत्रक विकास कार्यक्रम और मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 900 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियो के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप की एक नई स्कीम और राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता हेतु आबंटन दिए गये हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आबंटन 2009–10 के अंतरिम बजट में बजट अनुमान 2,057 करोड़ से बढ़ाकर 12,070 करोड़ रुपये किया गया।
- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण गठित किया गया है। राष्ट्रीय नदी और झील संरक्षण आयोजना के अंतर्गत बजटीय आबंटन 2008–09 के बजट अनुमान में 335 करोड़ से बढ़ाकर 2009–10 के बजट अनुमान में 562 करोड़ रुपये किया गया है।

बजट और ग्रामीण विकास

- वर्ष 2009–10 में कृषि हेतु 3,25,000 करोड़ रुपये के ऋण प्रवाह का लक्ष्य। 2008–09 में कृषि ऋण प्रवाह 2,87,00 करोड़ रुपये था।
- 7 प्रतिशत वर्ष की ब्याज दर पर प्रति किसान 3 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए किसानों को अल्पावधिक फसल ऋण हेतु ब्याज सहायता योजना जारी रहेगी। अल्पावधिक फसल ऋणों की अदायगी समय पर करने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में एक प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता। इसके अतिरिक्त अंतरिम बजट अनुमान 2009–10 की तुलना में 441 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन।
- ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर से अधिक भूमिधारक किसानों को उनकी अतिदेयता का 75 प्रतिशत भुगतान करने के लिए दिया गया। समय 30 जून, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक विस्तारित किया गया।
- बजट अनुदान 2008–09 की तुलना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत आबंटन में 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- उर्वरक के संतुलित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने हतु पोषण आधारित सब्सिडी व्यवस्था लाने का प्रस्ताव है ताकि बाजार में उचित मूल्यों पर उपलब्ध अभिनव उर्वरक उत्पादों के साथ उर्वरकों के बड़े समूह को कवर किया जा सके।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के तहत बजट अनुदान 2009–10 में 39,100 करोड़ रु. किया गया जो बजट अनुमान 2008–09 की तुलना में 144 प्रतिशत अधिक है।
- भारत निर्माण के लिए आबंटन 2008–09 के बजट अनुमान की तुलना में 45 प्रतिशत की बढ़त की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आबंटन 2008–09 के बजट अनुमान की तुलना में 2009–10 के बजट अनुमान में 59 प्रतिशत बढ़ाकर 12,000 करोड़ किया गया। राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आबंटन 27 प्रतिशत बढ़ाकर 7,000 करोड़ रु. किया गया।
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आबंटन 63 प्रतिशत बढ़ाकर 2009–10 के बजट अनुमान में 8,800 करोड़ रुपये किया गया। ग्रामीण आवास क्षेत्र में पुनर्वित्त प्रचालन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के संसाधन आधार को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक में राष्ट्रीय आवास निधि हेतु 2,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया।
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले 1000 गांवों के एकीकृत विकास के लिए प्रायोगिक आधार पर 100 करोड़ रुपये के आबंटन से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना नामक नई स्कीम शुरू की गई।
- कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्संरचित स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को व्यापक रूप से लागू करना, पहुंच केंद्रित और 2014–15 तक गरीबी उन्मूलन के लिए समयबद्ध बनाना। बढ़ी दरों पर पूंजी सब्सिडी के अतिरिक्त निर्धन गृहस्थों को बैंकों से एक लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
- 22 लाख से अधिक महिला स्वसहायता समूह बैंकों से जुड़े हैं। स्वसहायता समूहों की पहुंच बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में स्वसहायता समूहों के सदस्यों के रूप में भारत में सभी ग्रामीण महिलाओं, कम से कम 50 प्रतिशत को शामिल किया जाएगा।
- राष्ट्रीय महिला कोष की निधि अगले कुछ वर्षों में 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये की जाएगी।
- महिला साक्षरता मिशन के अंतर्गत तीन वर्ष में महिला अशिक्षा के स्तर को कम करके आधा करने के लक्ष्य के साथ अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति और अन्य उपेक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन आरंभ किया गया।

- राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत राज्यों में पुलिस तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए अंतरिम बजट 2009–10 की तुलना में 430 करोड़ अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़, सड़कों, फ्लड लाईटों के निर्माण के लिए अंतरिम बजट अनुमान 2009–10 की तुलना में 2284 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।
- शिक्षा के अंतर्गत मिशन इन एजुकेशन थ्रू आईसीटी योजना के लिए प्रावधान 900 करोड़ रुपये किया गया और कौशल विकास मिशन के तहत पोलीटेक्नीकों की स्थापना तथा उन्नयन के लिए प्रावधान बढ़ाकर 495 करोड़ रुपये किया गया।
- उच्च शिक्षा के लिए कुल आयोजना बजट में बजट अनुदान 2009–10 की तुलना में कुल 2000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
- राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के परिव्यय को अंतरिम बजट 2,112 से बढ़ाकर नियमित बजट 2009–10 में 3,472 करोड़ रुपये किया गया।
- श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों से आंतरिक रूप से विस्थापित श्रीलंकाई तमिलों के पुनर्वास और पुनर्निमाण के लिए 500 करोड़ रुपये आबंटित। विदेश मंत्रालय श्रीलंका सरकार के साथ सहयोग करेगा।
- चक्रवात आईला के कारण क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निमाण के लिए 1000 करोड़ रुपये आबंटित।
- बजट अनुमानों में 10,20838 करोड़ रुपये के कुल व्यय की व्यवस्था की गई है जिनमें आयोजना–भिन्न के अंतर्गत 6,95,689 करोड़ रुपये तथा आयोजना के अंतर्गत 3,25,149 करोड़ रुप्पये शामिल हैं। आयोजना भिन्न व्यय में बजट अनुदान 2008–09 की तुलना में 37 प्रतिशत और आयोजना व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- सकल कर प्राप्तियां बजट अनुदान 2008–09 के 6,87,715 करोड़ की तुलना में बजट अनुदान 2009–10 में 6,41,079 करोड़ रुपये अनुमानित हैं।
- कर प्रस्ताव के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों में आगामी 45 दिनों के भीतर नया प्रत्यक्ष कर कोड जारी कर और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में 1 अप्रैल, 2010 से वस्तु एवं सेवा कर की सुचारू शुरुआत करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर ढांचागत परिवर्तन किए जाएंगे।
- कॉरपोरेट कर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- प्रत्यक्ष करों के मामले में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वैयक्तिक आयकर की छूट सीमा 15,000 रुपये बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये से 2.40 लाख रुपये, महिला करदाताओं के लिए छूट सीमा 10,000 रुपये बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये से 1.90 लाख रुपये और व्यक्तिगत करदाताओं की अन्य सभी श्रेणियों के लिए भी 10,000 रुपये बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये किया गया है।
- अप्रत्यक्ष करों संबंधी प्रस्तावों में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के साथ–साथ सेवा कर के समग्र कर ढांचे को बनाए रखकर प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।
- टेलीविजन प्रसारण के लिए सेट टॉप बॉक्स पर 5 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाया जाएगा।
- मोबाईल फोनों और उसके सहायक उपकरणों के विनिर्माण हेतु उसके कलपुर्जों पर 4 प्रतिशत के सेनवैट शुल्क से उपलब्ध पूर्ण छूट को एक और वर्ष के लिए लागू रखा जाएगा।
- बॉयोडीजल पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत वर्तमान 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगने वाली मदों पर मुख्य अपवादों सहित उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाएगा।
- सेवा कर के मामले में रेल द्वारा सामान के परिवहन पर, तटीय कार्गो के परिवहन और राष्ट्रीय जलमार्गो सहित अंतर्देशीय जल द्वारा माल परिवहन सेवा, कास्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सेवा पर सेवा कर लगाया जाएगा।
- प्रत्यक्ष करों पर कर प्रस्ताव से राजस्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अप्रत्यक्ष करों पर पूरे वर्ष के लिए अनुमानित निवल प्राप्ति 2,000 करोड़ रुपये होगी।

(पसूका के सौजन्य से)

लोक प्रशासन (हिन्दी माध्यम)
में एक बार फिर सर्वोच्च अंक

मिहिर रायका
370
(179/191)

कमलेश कुमार : 347 (176/171)
शिव शंकर : 330 (164/166)
प्रदीप कुमार सैंगर : 328 (165/163)
घासीराम प्रजापति : 321 (169/152)
और भी ...

लोक प्रशासन
(हिन्दी माध्यम)

By **Atul Lohiya**

(A person who believes in scientific approach and hard work)

UGC-NET
QUALIFIED IN TWO SUBJECTS
(HISTORY & PUB. ADMINISTRATION)

हौसले से हार गई विकलांगता

यूपीएससी-08 में 435 वीं रैंक पर हमारे संस्थान के दृष्टिहीन छात्र आशीष सिंह ठाकुर

435 Rank

110 Rank
Navneet Bhasin

251 Rank
Pradumna K. Singh

358 Rank
Pradeep K. Sanger

391 Rank
Shiv Shankar

522 Rank
Mihir Rayka

Photograph Not Available
710 Rank
Drop S. Meena

754 Rank
Amit Pamasi

Interview Guidance (Samvardhan)

245 Rank
Bhoomika Patel

252 Rank
Pramod Kumar

307 Rank
Santosh Kumar

Photograph Not Available
341 Rank
P. Shanti Sudha

394 Rank
Nitina Nagori

422 Rank
Mukesh Rathore

439 Rank
Armstrong Pame

444 Rank
Aakash Singhai

649 Rank
Jai Prakash Singh

सर्वोच्च अंक-2007
गिरिवर दयाल सिंह
390
(183/207)

सर्वोच्च अंक-2006
विकास कुमार-353 (184/169)

38 Rank
Shikha Rajput

51 Rank
Giriwar Dayal Singh

254 Rank
Virendra K. Patel

391 Rank
Ajay Hilori

465 Rank
Mukesh B. Singh

615 Rank
Shailendra S. Rathour

आप भी प्राप्त कर सकते हैं 400+ अंक, कैसे? Winning Strategy के साथ

CRASH COURSE FOR MAINS '09
AFTER UPSC PRE. RESULT
ADMISSION OPEN FROM 5th AUG. '09

* *UPSC* के साथ *UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS* की भी तैयारी;
संस्थान के सफल विद्यार्थियों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन!

JOIN FOUNDATION COURSE
-: SHORT TERM COURSE :-
WRITING SKILL, ESSAY & PERSONALITY DEVELOPMENT

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
(पूर्णतः संशोधित; परिमार्जित एवं परिवर्धित कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)
MAINS - 3500/-
MAINS + PRE. - 4500/-
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त
Send DD/MO in favour of 'Atul Lohiya'

लोक प्रशासन
Mains के साथ-साथ
Pre. के लिए भी बेहतर विकल्प

'अतुल लोहिया'
शिक्षक; मार्गदर्शक और मित्र भी

"PRABHA"
AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
Phone : 27653498, 27655134, 32544250. Cell.: 9810651005, 9313650694
नोटः हमने अपना इलाहाबाद संस्थान बंद कर दिया है अब केवल दिल्ली में ही कक्षाएं उपलब्ध हैं।

8/09/01

पंचायती राज सशक्तिकरण : बाधाएं एवं संभावनाएं

डॉ. सुरेन्द्र कटारिया

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट (स्थानीय शासन) में कहा गया है कि किसी भी समुदाय का समग्र विकास उच्चस्तरीय सरकारों द्वारा नहीं बल्कि स्थानीय लोगों द्वारा ही हो सकता है। हमें अमेरिकन संविधान तथा यूरोपीय संघ के संविधान में स्वीकारी गई 'सबसिडियरिटी' की अवधारणा को अपनाना होगा, जोकि इस मान्यता की पोषक है कि जो कार्य स्थानीय समुदाय कर सकता है, वह कार्य उच्च सत्ता द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।' वह अवधारणा केरल के स्वयंसहायता समूहों (कुटुम्ब श्री) तथा दिल्ली शहर की रेजिडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशन (आर.डब्ल्यू.ए.) द्वारा सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है। समय आ गया है कि राज्य सरकारें पंचायतों को अधिक शक्तियां दें तथा ग्रामवासी स्वेच्छापूर्वक करों एवं शुल्कों का भुगतान करें।

भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की पर्याय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयों अर्थात् पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के प्रयास विगत छः दशकों से जारी हैं किन्तु अभी भी इनकी कार्यप्रणाली एवं प्रभावशीलता संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है। अभी तक लगभग अढ़ाई दर्जन समितियां राष्ट्रीय स्तर पर तथा इतनी ही समितियां विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गठित हो चुकी हैं। यदि 60 आयोगों एवं समितियों के गठन एवं उनके प्रतिवेदन के पश्चात् भी हमें पंचायती राज के सशक्तिकरण के सूत्र हाथ नहीं लगे हैं तो उन कारणों को आत्मसात करना होगा जोकि हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं में व्याप्त हैं। दरअसल भारत मात्र एक भौगोलिक इकाई का नाम नहीं है बल्कि यह बहुत सारी सभ्यताओं एवं संस्कृतियों से बनी एक जटिल सामाजिक, राजनीतिक रचना भी है। स्पष्ट है इसमें कोई भी एक

पंचायती राज पर राष्ट्रीय स्तर पर गठित समितियां

- सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर अध्ययन दल की रिपोर्ट–बलवंत राय मेहता समिति, 1957
- न्याय पंचायतों पर विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट, 1958
- पंचायत सांख्यिकी पर वी.आर. राव समिति, 1960
- ग्राम समुदाय के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु अध्ययन दल, जयप्रकाश नारायण समिति, 1960–61
- पंचायत तथा सहकारिता पर एस.डी.मिश्रा कार्यदल, 1961
- पंचायती राज प्रशासन पर वी. ईश्वरन् अध्ययन दल, 1961
- पंचायती राज आंदोलन में ग्रामसभा की स्थिति पर आर.आर. दिवाकर समिति, 1962–63
- न्याय पंचायतों पर जी.आर.राजगोपाल अध्ययन दल, 1962
- पंचायती राज वित्त पर के. संथानम समिति, 1963
- पंचायती राज संस्थाओं में लेखा तथा बजट पर एम. रामकृष्णैया अध्ययन दल, 1963
- पंचायती राज चुनावों पर के. संथानम समिति, 1965
- पंचायती राज निकायों में लेखा एवं अंकेक्षण पर आर.के. खन्ना अध्ययन दल, 1965
- पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों पर जी. रामचन्द्रन समिति, 1965
- जिला प्रशासन पर अध्ययन दल, तख्तमल जैन समिति, 1967
- भू–सुधारों में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर वी.रामनायन अध्ययन दल, 1969
- सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर दया चौबे समिति, 1976
- समान न्याय–सामाजिक न्याय 'न्याय पंचायतें' पर न्यायमूर्ति भगवती एवं कृष्णा अय्यर समिति, 1977
- खण्ड स्तरीय नियोजन पर एम.एल. दांतवाला कार्यदल, 1977–78
- पंचायती राज संस्थानों पर अशोक मेहता समिति,1978
- खण्ड स्तरीय नियोजन पर दिशा–निर्देश हेतु अजित मजूमदार समिति, 1978
- जिला आयोजना पर सी.एच. हनुमन्तराव कार्यदल, 1982–84
- ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रशासन पर जी.वी.के. राव समिति 'कार्ड समिति', 1985
- पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा पर एल.एम.सिंघवी समिति, 1986
- जिला नियोजन पर पी.के.थुंगन समिति, 1988
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज पर दिलीप सिंह भूरिया समिति, 1994–95
- राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग, न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया आयोग, 2000–2002 'आयोग की पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर पी.ए.संगमा विशेषज्ञ समिति।
- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के परीक्षण पर पंचायती राज पदाधिकारियों द्वारा निर्मित टी.आर.रघुनन्द कार्यबल रिपोर्ट, 2004
- जिला आयोजना पर वी. रामचन्द्रन विशेषज्ञ दल, 2005
- न्याय पंचायत पर विधेयक निर्माण हेतु प्रो. उपेन्द्र बख्शी समिति, 2006
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बीरप्पा मोइली की छठी रिपोर्ट 2009

पंचायती राज पर राज्य सरकारों की समितियां

राजस्थान

- हरीशचन्द्र माथुर समिति, 1963 राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति।
- सादिक अली समिति, 1964
- गिरधारी लाल व्यास समिति, 1973
- हरलाल सिंह खर्रा समिति, 1990
- अरूण कुमार समिति, 1996
- शिवचरण माथुर आयोग, 2000। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग।
- गुलाब चन्द कटारिया मंत्रिमण्डलीय उप समिति, 2004–05

महाराष्ट्र

- वी.पी. नाईक समिति, 1961
- बोंगीरवार समिति, 1971
- पी.बी. पाटिल समिति, 1986

उड़ीसा

- साहू समिति, 1958

मध्य प्रदेश

- एम.पी.शर्मा समिति, 1963

आन्ध प्रदेश

- पुरुषोत्तम पाई समिति, 1964
- रामचन्द्र रेड्डी समिति, 1965
- सी. नरसिम्हा समिति, 1972–74

हरियाणा

- माडू सिंह समिति, 1972

उत्तर प्रदेश

- गोविन्द्र सहाय समिति, 1959
- राममूर्ति समिति, 1965

तमिलनाडु

- टी.ए.वर्गीज समिति, 1973

हिमाचल प्रदेश

- हरदयाल सिंह समिति, 1965

कर्नाटक

- श्री वैंकटप्पा समिति, 1949–50
- डी.एच. चन्द्रशैकरैया समिति,1953
- काण्डाज्जी बसप्पा समिति, 1963
- पी.आर. नायक समिति, 1996

गुजरात

- पारिख समिति, 1960
- जिनाभाई दर्जी समिति, 1972–73
- रिखवदास शाह समिति, 1978

पंजाब

- बादल समिति, 1969

असम

- के.पी. त्रिपाठी समिति, 1963

केरल

- वी. रामचन्द्रन समिति, 1988

मॉडल या कानून या नीति सफलतापूर्वक सम्पूर्ण देश में लागू नहीं हो पाती है। यही हाल पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी रहा है।

राज्यवार भिन्नताएं

देश में 'पंचायतें' जिन्हें चार्ल्स मैटकाफ ने 'लघु गणराज्य' नाम दिया था, प्राचीनकाल से ही सभी समुदायों में विद्यमान रही हैं। आज भी परम्परागत 'जाति पंचायतें' वैधानिक एवं लोकतांत्रिक रूप से गठित पंचायतों के समानान्तर विद्यमान हैं। पंचायतों की यही द्वैधता पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी बड़ी बाधा राज्य विधानसभाओं के विधायकों की मनोवृत्ति है। प्रत्येक राज्य सरकार एवं राजनीतिक दलों तथा उनके विधायकों को लगता है कि यदि पंचायतें विकसित एवं सशक्त हो गई तो उनकी सत्ता कम हो जाएगी। यह आशंका निरर्थक नहीं है क्योंकि परम्परागत रूप से भारतीय समाज 'चमत्कार को नमस्कार' करता आया है। पंचायती राज संस्थानों को जो कार्य, दायित्व तथा शक्तियां दी जानी हैं, वे प्रत्यक्षतः राज्य सरकार के सूत्र विभागों के कार्य हैं। इस दिशा में आगे बढ़ने से पूर्व देशभर की पंचायती राज व्यवस्था पर एक सरसरी दृष्टि डालते हैं –

- पंचायती राज के पूर्व में चर्चित रहे 'गढ़' अर्थात् राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र ने अपनी–अपनी शैली या पहचान सदैव बनाए रखी है तो वर्ष 1992–93 के बाद पंचायती राज के 'नए गढ़' अर्थात् कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल तथा मध्य प्रदेश ने भी नवाचार किए हैं तथा एक सामाजिक–राजनीतिक क्रांति उत्पन्न की है।
- गुजरात एवं महाराष्ट्र ने जिला स्तर पर विकास एवं नियामकीय कार्यों का पृथक्करण कर जिला स्तरीय आयोजना एवं विकास प्रशासन की नई पद्धति सुझायी है।
- मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने जिला सरकार नामक नयी अवधारणा को जन्म दिया। इसके अन्तर्गत एक मंत्री को जिला प्रभारी बनाते हुए जिला परिषद एवं जिला आयोजना समिति को सशक्त किया गया तथा जिला कलक्टर को जिला सरकार का सचिव बनाया गया। वस्तुतः मध्य प्रदेश में जिला आयोजना समिति को ही जिला सरकार में परिवर्तित किया गया है।
- राजस्थान, महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा में दो से अधिक बच्चों वाला उम्मीदवार पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस निर्णय से सीमित परिवार की अवधारणा को सम्बल मिला है। राजस्थान उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के एक मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे प्रासंगिक एवं वैध ठहरा दिया है।
- केरल, उड़ीसा, राजस्थान तथा कर्नाटक में मोहल्ला या वार्ड पंच स्तर पर वार्ड सभा (पल्ली सभा या बस्ती सभा) का प्रावधान किया गया है। ये सभाएं ग्रामसभा के कार्य में सहयोग करने, ग्राम पंचायत के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करने तथा निर्णय प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करने हेतु गठित हुई हैं। राजस्थान में ग्रामसभा में किसी ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता सदस्य होते हैं किन्तु वार्डसभा के सभी वयस्क व्यक्ति सदस्य माने जाते हैं।
- सूचना के अधिकार की विकास यात्रा का भी पंचायती राज से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा है। यह बड़ा विचित्र एवं गौरवपूर्ण तथ्य है कि सूचना के अधिकार की लड़ाई समाज के पीड़ित, दमित, शोषित एवं तुलनात्मक रूप से कम साधन सम्पन्न ग्रामीण समुदाय ने लड़ी है। राजस्थान के मजदूर किसान शक्ति संगठन (एम.के.एस.एस.) ने सन् 1994 में रायपुर (पाली) में सरकारी कार्यों में हुए व्यय की जन सुनवाई शुरू करवा दी थी। राजस्थान सरकार ने अरूण कुमार समिति की सिफारिश पर 30 दिसम्बर, 1996 से पंचायती राज के अन्तर्गत हुए विकास कार्यों के रजिस्टर तथा मस्टररोल इत्यादि दिखाने या उनकी फोटोप्रति देने का प्रावधान कर दिया। सन् 1996 में सर्वप्रथम तमिलनाडु ने सूचना का अधिकार कानून बनाया। सन् 1998 में कर्नाटक ने सिंचाई विभाग की टेण्डर की सूचनाएं देने का प्रावधान किया। 3 अप्रैल, 2001 को राजस्थान के राजसमन्द जिले की जनावद ग्राम पंचायत में हुई सार्वजनिक जन सुनवाई के बाद 70 लाख रुपये का गबन सामने आया था। कालान्तर में राज्यों में सूचना के अधिकार सम्बन्धी कानून बने। केन्द्र में भी सन् 2002 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तथा अंततः सन् 2005 में नया राष्ट्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम सामने आया। यह सम्पूर्ण लड़ाई सुशासन, पारदर्शिता तथा ग्रामीण विकास पर केंद्रित रही।
- गुजरात राज्य में ग्राम सेवक (सचिव) का स्नातक तक शिक्षित होना अनिवार्य है जबकि राजस्थान में सन् 1999–2003 के बीच दूसरे विभागों से सामान्य पढ़े–लिखे अधिशेष (सरप्लस) कार्मिक जैसे–कैटल गार्ड, नाका गार्ड इत्यादि को ग्राम सेवक के पद पर स्थापित किया गया। इससे पंचायती राज की कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है। केरल में पंचायत सचिव को शक्तिशाली पदस्थिति प्रदान की गई है तथा यहां ग्राम पंचायत के कार्मिक लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन कार्य में पारदर्शिता लाने तथा वित्तीय अनुशासन स्थापित करने हेतु कर्नाटक में लोकल

फण्ड अथॉरिटी एण्ड फिस्कल रेस्पोन्सिबिलिटी एक्ट, 2003 पारित किया गया है।

- केरल का पंचायती राज मॉडल अन्य राज्यों के लिए आदर्श बनता जा रहा है। यहां केरल शक्तियों का विकेन्द्रीकरण अधिनियम, 2000 के द्वारा 34 विभागीय कानूनों को परिवर्तित कर पंचायती राज को सशक्त बनाया गया है। यहां पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु पृथक से अपील न्यायाधिकरण और भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन पर नियंत्रण हेतु ओम्बुड्समैन की व्यवस्था प्रवर्तित है। ग्रामीरीय (ग्रामीण+नगरीय) या रूरबन (रूरल+अरबन) सभ्यता एवं संस्कृति से परिपूर्ण केरल का विकेन्द्रीकृत आयोजना मॉडल भी उल्लेखनीय है।
- केन्द्रीय कार्यबल (2001) की सिफारिशों पर कर्नाटक (1987 में) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान इत्यादि में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषदों में विलय किया जा चुका है जबकि बहुत–से अन्य राज्यों में यह कार्यवाही अभी शेष है।
- पश्चिम बंगाल में ग्रामसभा की स्थिति ग्राम संसद के समान है अर्थात् ग्राम पंचायत चुनावों में जातिगत समीकरण भी प्रभावी नहीं रहते हैं जबकि शेष भारत में पंचायतों तथा जातियों का समामेलन देखने योग्य है।
- पी.आर. नायक समिति (1996) की सिफारिशों के पश्चात् कर्नाटक में तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समितियों के अध्यक्षों के पदों की अवधि 20 माह निश्चित कर दी गई है अर्थात् 5 वर्ष के अन्दर तीन बार नए पदाधिकारी कार्य संभालते हैं।
- कर्नाटक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जिला कलक्टर से भी वरिष्ठ पदस्थिति प्रदान की गई है। इसी प्रकार तालुका पंचायत का तालुका विकास अधिकारी भी एस.डी.एम. के स्तर का होता है। यहां अप्रैल, 1987 से ही सम्पूर्ण विकास प्रशासन जिला पंचायत के अधीन कार्यरत है। पंचायती राज को शक्तियां, कार्य तथा कार्मिक हस्तान्तरण का कार्य इस राज्य में 73वें संविधान संशोधन से पूर्व ही हो चुका था।
- गुजरात राज्य में तीनों स्तरों पर सामाजिक न्याय समिति कार्यरत है तथा यहां राज्य पंचायत परिषद भी बनायी गयी है।
- गुजरात में राज्य आयोजना का 20 प्रतिशत हिस्सा निर्बन्ध राशि के रूप में पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाता है जबकि केरल में यह 35–40 प्रतिशत है। राजस्थान सहित अन्य बहुत सारे राज्यों में यह 2–9 प्रतिशत ही है। गुजरात में भू–राजस्व एकत्रण का कार्य भी पंचायतें कराती हैं तथा उन्हें इस मद से एक निश्चित हिस्सा भी मिलता है।
- छोटे से राज्य सिक्किम में मात्र 4 जिले (उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम सिक्किम) हैं लेकिन यहां जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के स्थान पर राज्य ग्रामीण विकास अभिकरण (एस.आर.डी.ए) कार्यरत है।
- सिक्किम में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था सन् 1982 से प्रवर्तित है (भारत में विलय, सन् 1975 में) द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वाले इस राज्य में दो गांव ऐसे हैं जहां अभी भी परंपरागत कबीला पंचायतें हैं। इन्हें 'झुमसा' कहा जाता है। गांव की इन परंपरागत पंचायतों (झुमसा) के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को क्रमशः 'वरिष्ठ पाइपौन' एवं 'कनिष्ठ पाइपौन' कहा जाता है। इनकी सहायता हेतु कुछ लामा होते हैं जिन्हें 'चुटिया' कहा जाता है। सिक्किम पंचायत अधिनियम, 1993 में इन कबीला पंचायतों को वैधानिक मान्यता प्राप्त है तथा इनके कार्यकरण में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
- अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायतों को ही कर लगाने का अधिकार है। राजस्थान, महाराष्ट्र तथा गुजरात ने ही पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी हैं।
- निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा अकर्मण्यता या अनियमितता प्रदर्शित करने पर वापिस बुलाने (रिकॉल) की व्यवस्था केवल मध्य प्रदेश में है।
- वर्तमान में केवल बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में ही न्याय पंचायतों का प्रावधान है।
- जहां तक जिला आयोजना समितियों के गठन का प्रश्न है, उसकी स्थिति राज्यवार भिन्नता प्राप्त है। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा तथा चण्डीगढ़ के पंचायती राज कानूनों में इसके गठन का प्रावधान नहीं है। दूसरी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में इसका अध्यक्ष मंत्री को बनाया गया है। अधिसंख्य राज्यों में जिला परिषद का मुखिया इस समिति का भी अध्यक्ष है।
- तमिलनाडु के अतिरिक्त सभी राज्यों में आरक्षण की चक्रानुचक्र पद्धति 5 वर्ष में परिवर्तित हो जाती है। तमिलनाडु में यह 10 वर्ष है। इससे महिला जनप्रतिनिधि अधिक मुखर ढंग से कार्य कर पा रही हैं।
- लगभग सभी राज्यों में सांसद एवं विधायक को पंचायती राज संस्थाओं में पदेन सदस्यता दी गई है किन्तु केरल में ऐसा नहीं है। वहां सांसद एवं विधायक केवल ग्रामसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं।

- ग्राम पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या अनुपात भी सभी राज्यों में भिन्नता प्राप्त है। स्थिति यह है कि केरल में ही इडुक्की जिले की एक ग्राम पंचायत (वट्टावडा) में 4508 जनसंख्या है तो इसी जिले की मुन्नार ग्राम पंचायत की जनसंख्या 78343 है। इसी राज्य में एक ग्राम पंचायत (बल्लापट्टनम कन्नूर) का क्षेत्रफल मात्र 2.4 वर्ग किलोमीटर है तो इडुक्की जिले की ग्राम पंचायत कुमिली का क्षेत्रफल 795 वर्ग किलोमीटर है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार केरल में ग्राम पंचायतों की औसत जनसंख्या 25200 है जबकि राजस्थान में यह 5400 है।

उपर्युक्त वर्णित विवरण से स्पष्ट होता है कि देश भर में प्रवर्तित पंचायती राज संस्थाओं की संख्या, कार्यप्रणाली तथा कार्य क्षेत्र में भारी भिन्नताएं व्याप्त हैं अतः एक ऐसे मान्य प्रतिमान को विकसित करने की आवश्यकता है जिसे प्रायः सभी राज्यों एवं स्थानों पर लागू किया जा सके। स्पष्ट है ऐसा करते समय सफल रहे नवाचारों एवं प्रयोगों को अन्यत्र भी यथा संशोधनों के साथ लागू किया जाना चाहिए।

सशक्तिकरण के सामयिक प्रयास एवं संभावनाएं

यद्यपि 73वें संविधान संशोधन, 1992 के पश्चात् पंचायती राज संस्थानों को स्थायित्व एवं संरचनात्मक स्थापना का आधार मिल चुका है। अब इन संस्थानों के कार्यात्मक पक्ष को मजबूत किया जाना है। इसी क्रम में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा सर्वप्रथम 27 मई, 2004 को पृथक से स्वतंत्र पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की गई थी। इससे इन संस्थानों के सन्दर्भ में नीतिगत प्रश्नों पर गंभीरतापूर्वक चिन्तन–मंथन करने का राष्ट्रीय प्रशासनिक मंच उपलब्ध हो चुका है। संप्रग सरकार द्वारा सन् 2004 में देश के विभिन्न कोनों में आयोजित हुए सात गोलमेज सम्मेलनों में प्राप्त हुए सुझावों को क्रियान्वित किया जाना अत्यावश्यक है। ज्ञात रहे इन सात गोलमेज सम्मेलनों में पंचायती राज के विविध पक्षों यथा–कार्य, कार्मिक एवं निधि हस्तान्तरण, समानान्तरण संगठनों सहित आयोजना, संघ क्षेत्रों में पंचायती राज, वार्षिक रिपोर्ट एवं विकेन्द्रीकरण सूचकांक, निर्वाचन एवं अंकेक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, ई.शासन तथा क्षमता निर्माण इत्यादि पर क्रमशः गहन चर्चा हुई थी। इन सम्मेलनों में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय पंचायती राज मंत्रियों, सचिवों और विशेषज्ञों ने अपने–अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। अतः अब उन सुझावों पर अमल करने का समय आ गया है।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 अप्रैल, 2009 को सभी राज्यों को प्रेषित किए गए "मॉडल पंचायत एण्ड ग्राम स्वराज एक्ट" में पंचायती राज के भविष्य की रूपरेखा निर्धारित की गई है। कुल 24 अध्यायों से युक्त यह मॉडल कानून पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण का एक बड़ा प्रयास है। इसी प्रकार न्याय पंचायत विधेयक, 2009 भी एक सार्थक कदम है जो कि देश भर की अदालतों में लगे 2.3 करोड़ मुकदमों के अम्बार को और अधिक भयावह करने से रोकने का एक प्रयास है। यदि ग्राम पंचायत स्तर पर न्याय पंचायतों की स्थापना हो जाए तो ग्रामवासियों के छोटे–छोटे मुकदमें पंचायत स्तर पर ही निबटाए जा सकेंगे तथा जाति पंचायतों की परम्परागत निरंकुशता पर थोड़ा अंकुश अवश्य लगेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 अर्थात् नरेगा की अनुपालना में फरवरी, 2006 से प्रथम चरण में लागू हुई तथा वर्तमान में सभी ग्रामीण जिलों में प्रवर्तित 'नेग्स' के अन्तर्गत न केवल ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुनिश्चित हुई है बल्कि इससे पंचायत के क्षेत्राधिकार में आने वाले संसाधनों का भी यथोचित दोहन होने लगा है। यही वह योजना है जिसने ग्रामीण भारत को वैश्विक मंदी से बचाए रखा है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विगत वर्षों में शुरू किए गए 'ग्रामीण व्यापारिक केन्द्रों तथा निजी–पंचायत भागीदारी मॉडल' को विस्तारित किया जाना समय की मांग है।

(लेखक लोक प्रशासन के व्याख्याता तथा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विशेषज्ञ हैं।)
ई–मेल : skkataria64@rediffmaill.com

भारत निर्माण के लिए अधिक आबंटन

वित्तमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में वर्ष 2009–2010 का बजट पेश करते हुए कहा कि भारत निर्माण, अपनी छह योजनाओं के साथ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अन्तर को पाटने तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने की ओर एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत निर्माण के लिए 2008–09 के बजट अनुमान की तुलना में 2009–10 में 45 प्रतिशत अधिक आबंटन करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत निर्माण के अंतर्गत इसके सफल कार्यक्रमों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए यह आबंटन, बजट अनुमान 2008–09 की तुलना में 59 प्रतिशत बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 7000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। यह 2008–09 (ब.अ.) की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। **(पसूका)**

कृषक समृद्धि को समर्पित किसान क्लब

वीरेंद्र परिहार

किसान क्लब किसानों की शक्ति और संगठन के प्रेरक होते हैं। किसान क्लबों के माध्यम से किसान एकजुट होकर अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और अपनी-अपनी क्षमताओं का विस्तार भी कर सकते हैं। किसान की समृद्धि और सम्पन्नता के लिए इनकी भूमिका और प्रासंगिकता दोनों ही बढ़ गए हैं।

किसान क्लब गांवों में एक प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इनका महत्व इस गति से बढ़ रहा है कि ये गांवों में एक पृथक संस्था के रूप में उभर रहे हैं। किसान क्लबों के माध्यम से किसानों का मनोबल बढ़ा है। एकजुटता से सामूहिक हितों की पूर्ति ही इन क्लबों का मुख्य ध्येय रहा है। इन किसान क्लबों में संगठित रहकर कार्य करते हुए किसान भाइयों की सोच और नजरिया दोनों में ही बदलाव आया है। आज स्थिति यह है कि इनके माध्यम से किसान भाई अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ने तक को तैयार हैं।

इन किसान क्लबों की बढ़ती सक्रिय भूमिका और महत्व का ही नतीजा है कि कृषि अधिकारी और कृषि संस्थाएं गांवों में विकास के लिए आगे आ रही हैं। कृषि सूचनाओं और कृषि सुविधाओं की गंगा गांवों में बहाने के लिए भी इन क्लबों की निर्णायक भूमिका रही है।

संगठन में शक्ति है। हम जानते हैं कि संगठन में एकजुट रहकर कोई भी कार्य किया जा सकता है। किसान क्लब ये ही काम कर रहे हैं। बदलते समय की मांग है संगठन में रहकर अपने हितों की रक्षा करना। किसान क्लबों ने किसानों को वो उपयुक्त मंच प्रदान किया है जिसके माध्यम से वे अपनी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकते हैं। इन किसान क्लबों के माध्यम से किसान भाई अपना सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। हमारे देश के किसानों को बाजार का बादशाह बनना है, इसके लिए जरूरी है किसान क्लबों की अवधारणा को और अधिक सशक्त करने की। इस प्रकार किसान क्लब कृषक समृद्धि के सच्चे प्रतीक हैं। किसान क्लबों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है सरकार द्वारा इनकी हर संभव सहायता करना।

राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने अपनी स्थापना के तुरन्त बाद विकास वालंटियर वाहिनी कार्यक्रम के अन्तर्गत

कृषि ऋण अवधि का विस्तार

वित्तमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009–10 के आम बजट में कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना की अवधि 6 महीने बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2009 करने का प्रस्ताव किया है। यह योजना 2008 में शुरू की गई थी। इसके तहत करीब 400 लाख किसानों को समाविष्ट करते हुए लगभग 71,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त बैंक ऋण माफी की गई थी। दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को अपने अतिदेयों के 75 प्रतिशत की अदायगी करने के लिए 30 जून, 2009 तक का समय दिया गया था लेकिन मानसून में देरी के कारण इसकी अवधि 6 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

लोकसभा में बजट पेश करते हुए श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में किसानों ने निजी महाजनों से कर्ज ले रखे हैं और वे ऋण माफी योजना में शामिल नहीं हैं। इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने का तथा व्यापक पड़ताल करने और भावी कार्ययोजना का सुझाव देने के लिए एक कार्यदल के गठन का प्रस्ताव किया गया है।

वित्तमंत्री ने कृषि क्षेत्र में लगभग 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि बनाए रखने के लिए 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर प्रति किसान 3 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए किसानों को अल्पावधि फसल ऋणों हेतु ब्याज सहायता योजना जारी रखने का प्रस्ताव किया है। इस वर्ष के लिए सरकार उन किसानों को एक प्रतिशत अतिरिक्त सहायता भी देगी, जो अल्पावधि फसल ऋणों की अदायगी निर्धारित समय पर कर देंगे। इस प्रकार इन किसानों के लिए ब्याज दर सिर्फ 6 प्रतिशत हो जाएगी। इसके लिए 411 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जा सकता है। (पसूका)

किसान क्लब (मित्र मण्डल) बनाने की शुरुआत की। 5 नवम्बर, 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नाबार्ड को राष्ट्र को समर्पित करते समय 36 स्वयंसेवकों के दल को विकास वालंटियर वाहिनी के चिह्न प्रदान किए। यही से इस कार्यक्रम की पहल शुरू हुई।

नाबार्ड ने इस कार्यक्रम को अत्यधिक उपयोगी मानते हुए इसे बैंकों के माध्यम से लगातार बढ़ावा दिया। किसान क्लबों के माध्यम से बैंकों और ग्रामीणों के बीच विश्वास की एक कड़ी कायम होती है। किसान क्लब कार्यक्रम राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रसारित 'ऋण के माध्यम से विकास' के पांच सिद्वान्तों के आधार पर ग्रामीण विकास में तेजी लाने का अनूठा प्रयास है।

उद्देश्य: किसान क्लबों की स्थापना ऋण के माध्यम से विश्वास के पांच सिद्धान्तों को लेकर हुई थी। किसान क्लबों के माध्यम से किसान एक मंच पर बैठकर अपनी समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं। किसान क्लबों की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था, प्रत्येक किसान का सर्वांगीण विकास करना। किसान क्लबों के सदस्य किसान बैंकों से ऋण प्राप्त करके अपनी स्थिति में सुधार पर अधिक ध्यान देते हैं।

क्लबों के पदाधिकारी: क्लब में शामिल सदस्यों में से एक को मुख्य समन्वयक नामित किया जाता है। इसके अलावा एक सहायक समन्वयक भी बनाया जा सकता है।

नाबार्ड की अनुमति: नाबार्ड किसान क्लबों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बैंक शाखा प्रबन्धक नाबार्ड से क्लब के अनुमोदन हेतु फार्मेट–प्रथम के अनुसार चुने गए वालंटियरों सम्बन्धी जानकारी, सम्बन्धित गांवों के मुख्य आंकड़ों को नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक को या क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करता है। तत्पश्चात नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृति या अनुमोदन पत्र जारी किया जाता है। कोई भी किसान क्लब तब तक नाबार्ड से वित्तीय सहायता हेतु पात्र नहीं होगा जब तक क्लब गठन सम्बन्धी अनुमोदन पत्र नाबार्ड जारी नहीं कर देता।

क्लब का उद्घाटन: उद्घाटन का उद्देश्य क्लब के सदस्यों का विभिन्न सम्बन्धित विकास विभागों व बैंक अधिकारियों से परिचय कराना होता है। इस अवसर पर क्लब के महत्व और उद्देश्यों की विस्तार से चर्चा की जाती है।

मुख्य समन्वयक शाखा प्रबन्धक और अन्य अधिकारियों से सलाह करके बैठकों की तिथि निश्चित करता है। वह क्लब की बैठकों का संचालन भी करता है। मुख्य समन्वयक क्लब के सदस्यों को कृषि और गैर–कृषि कार्यों जैसे सफाई, शिक्षा आदि में नेतृत्व प्रदान करता है।

किसान क्लबों के मुख्य कार्य

- कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए वार्षिक कार्यक्रम बनाना।
- फसलों के लिए बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयों का इन्तजाम।
- कृषि विशेषज्ञों को बुलाकर क्लब सदस्यों को जानकारी।
- पशु चिकित्सा शिविर व पशु मेलों का आयोजन।
- गांव में सफाई अभियान।
- प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित के लिए चंदा एकत्रित करके राष्ट्रीय कोष में भेजना।
- स्वयंसहायता समूहों का गठन।

- ग्रामीण भाइयों को समय–समय पर ऋण सम्बन्धी सुविधाओं की जानकारी देना।
- अपने ग्रामीण भाइयों के बीच में किसी भी उपलब्धि या असफलता का अनुभव बांटना।
- ग्रामीण साथियों के समक्ष ऐसा उदाहरण पेश करना जिससे वे न केवल बैंक के अच्छे ग्राहक बनें बल्कि अपने ग्रामीण भाइयों की मदद के लिए भी तैयार रहें।
- अपने ग्रामीण भाइयों से उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार–विमर्श करना।
- ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसियों और गांवों में सम्पर्क सूत्र के रूप में काम करना।
- स्वयंसहायता समूह कार्यक्रम की उपयोगिता से निर्धन लोगों को अवगत करवाना।
- किसान क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए गांव तथा अपने सदस्य भाइयों के बीच बेहतर सहयोग बनाकर सक्रिय भूमिका निभाना।

- गांवों में सिलाई और अचार निर्मित करने का प्रशिक्षण।
- कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य कृषि संस्थाओं का भ्रमण।

किसान क्लबों की गतिविधियां: किसान क्लबों का प्रमुख मिशन किसानों का विकास, तकनीकी का अंतरण, जागरुकता और क्षमता निर्माण है। किसान क्लबों द्वारा इन कार्यों को भी किया जाता है:

- ग्रामीण किसानों को क्लब का सदस्य बनाना, क्लब के खातों का रखरखाव करना और कृषि से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों का वार्षिक कलैण्डर तैयार करना।
- माह में कम से कम एक बैठक व जरूरत पड़ने पर एक से अधिक बैठकों का आयोजन।
- सदस्यों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- कृषि गतिविधियों के विशेषज्ञों, कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार, अधिकारियों के साथ नवीनतम तकनीकी जानकारी के लिए समय–समय पर सम्पर्क करना।
- निर्दिष्ट वस्तुओं के कॉर्पोरेट आपूर्तिकारों से सम्पर्क कर क्लब सदस्यों के लिए ,थोक मात्रा में ऐसी वस्तुओं की खरीद करना।
- सदस्यों के लाभ के लिए संयुक्त गतिविधियां जैसे कि मूल्य संवर्धन, प्रॉसेसिंग, कृषि उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करवाना।

किसान क्लबों की भूमिका: किसान क्लबों की निम्न भूमिका अपेक्षित रहती है :

- क्लब के मंच से 'ऋण के माध्यम से विकास' के सिद्धान्त से क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना।

विशेषज्ञों से मुलाकात कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्लब सदस्यों, ग्रामीण जिलों, विभागों आदि की परिचर्चा आयोजित करना है, ताकि क्लब–गांव में विकास की आवश्यकताओं को चिन्हित किया जा सके और उनकी सामयिक प्राथमिकताएं निर्धारित करके ग्रामीण जनों की अपेक्षाओं के अनुरूप क्लब की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जा सके।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकारी योजनाओं की जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान क्लब महती भूमिका निभा रहे हैं।

(लेखक दूरदर्शन कृषि कार्यक्रम निर्माण में प्रोडक्शन सहायक हैं।)
ई–मेल : virandrapariharddk@redifmail

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड–4, तल–7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

कम वर्षा में भी ले ग्वार की भरपूर पैदावार

जगपाल सिंह मलिक

ग्वार बरानी क्षेत्रों में उगायी जाने वाली एक प्रमुख फलीदार फसल है। ग्वार कम वर्षा और विपरीत परिस्थितियों वाली जलवायु में भी आसानी से उगायी जा सकती है। भारत विश्व में सबसे अधिक ग्वार की फसल उगाने वाला देश है। ग्वार की खेती दाने के लिए, हरे चारे हेतु, हरी खाद के लिए व हरी सब्जी के लिए की जाती है। कृषि उपयोगी फसल होने के साथ-साथ ग्वार एक नकदी एवं औद्योगिक फसल भी है। इसके दानों में एक प्रकार का गोंद प्राप्त होता है जो सम्पूर्ण विश्व में 'ग्वार गम' के नाम से प्रचलित है। ग्वार गम का प्रयोग कई प्रकार से उद्योग-धन्धों व औषधि निर्माण में किया जाता है। पेट साफ करने, रोचक औषधि तैयार करने, कैप्सूल व गोलियां बनाने में ग्वार गम का प्रयोग किया जाता है। हरे चारे के रूप में इसे बाजरे व ज्वार के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाया जाता है। ग्वार की फसल हरी खाद के रूप में भी लाभदायक सिद्ध हुई है।

विश्व की 75 प्रतिशत ग्वार भारत में ही पैदा होती है। भारत में ग्वार सर्वाधिक क्षेत्रफल (23.3 मि.हे.), उत्पादन (10.2 लाख टन) एवं औसत उत्पादकता (428 कि.ग्रा./हे.) है। भारत में ग्वार की खेती प्रमुख रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात व उत्तर प्रदेश में की जाती है। भारत के सम्पूर्ण ग्वार उत्पादक क्षेत्र का करीब 87.7 प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। सब्जी वाली ग्वार की फसल से बुवाई के 55-60 दिनों बाद कच्ची फलियां तुड़ाई पर आ जाती हैं। इसके अलावा खनिज, कागज व कपड़ा उद्योग में भी ग्वार गम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य पदार्थों जैसे आइसक्रीम, सूप व सलाद बनाने में भी ग्वार गम का बड़ा महत्व है। ग्वार की फसल 30-40 कि.ग्रा./हे. वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का

भूमि में स्थिरीकरण करती है। अतः ग्वार जमीन की ताकत बढ़ाने में भी उपयोगी है। व्यावसायिक जागरुकता एवं बाजार में इसकी बढ़ती मांग के कारण किसान भाई इसके उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। परन्तु ग्वार की खेती के सम्बन्ध में वैज्ञानिक जानकारी न मिलने के कारण किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।

पौष्टिकता

ग्वार के बीज में लगभग 37–45 प्रतिशत प्रोटीन, 1.4–1.8 प्रतिशत पोटेशियम, 0.40–0.80 प्रतिशत कैल्शियम और 0.15–0.20 प्रतिशत मैग्निशियम पाया जाता है। ग्वार की ताजा व नर्म–मुलायम फलियों को सब्जी और भुरता बनाने के काम में लाया जाता है। कच्ची सुखाकर रखी हुई फलियों का प्रयोग भी सब्जी बनाने में किया जाता है। ग्वार की हरी फलियों में रेशे की मात्रा अधिक पायी जाती है। इसके सेवन से पाचन सम्बन्धी रोग दूर हो जाते हैं। ग्वार प्रोटीन, विटामिन ए, लोहा व फोलिक अम्ल का अच्छा स्रोत है। हरी फलियों के 100 ग्राम भाग में 81.0 ग्रम पानी, 3.2 ग्राम प्रोटीन, 0.4 ग्राम वसा, 1.4 ग्राम खनिज, 3.2 ग्राम रेशा और 10.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम (130 मि.ग्रा.), फास्फोरस (57 कि.ग्रा.), लोहा (1.08 मि.ग्रा.) तथा विटामिन ए, थाइमिन, फोलिक अम्ल और विटामिन सी इत्यादि भी इसमें पाए जाते हैं। ग्वार जानवरों के लिए भी एक पौष्टिक आहार है। ग्वार के दानों और ग्वार की चूरी को जानवरों के खाने में प्रयोग प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। हरे चारे के रूप में इसे फलियां बनते समय पशुओं को खिलाया जाता है। इस अवस्था पर इसमें प्रोटीन व खनिज लवणों की मात्रा अधिक पायी जाती है।

ग्वार की पैदावार में कमी के प्रमुख कारण

ग्वार की अधिकांश खेती वर्षा आधारित क्षेत्रों में की जाती है। जहां पर इसकी पैदावार वर्षा की मात्रा व वितरण पर निर्भर करती है। सितम्बर माह में ग्वार में फलियां बनती हैं और उनमें दाने बनते हैं। इस समय प्रायः वर्षा की कमी के कारण पैदावार में भारी गिरावट आ जाती है।

- ग्वार को साधारणतः उन भूमियों में उगाया जाता है जहां पर दूसरी फसलें उगाना कठिन है। इन भूमियों की फसल पैदा करने की क्षमता बहुत कम होती है। साथ ही जीवांश पदार्थों की भी इन मृदाओं में काफी कमी होती है।
- उच्च तकनीकी एवं उन्नतशील शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का अभाव। अभी तक किसान खेती की परम्परागत विधियों और देशी प्रजातियों को ही उगाते हैं।

ग्वार की खेती मे किसान आमतौर पर खाद, जैविक उर्वरक प्रबन्धन को नजरअंदाज करते हैं।

किसानों को पर्याप्त मात्रा में उन्नतशील प्रजातियों का प्रमाणित बीज नहीं मिल पाता है।

किसानों में व्याप्त निर्धनता व साक्षरता का अभाव भी ग्वार की उत्पादकता को प्रभावित करता है।

मक्का और ग्वार की चारे के लिए मिलवां फसल

जलवायु

ग्वार एक सूखा सहन करने वाली फसल है। यह उन क्षेत्रों में आसानी से उगायी जा सकती है जहां पर औसत

वार्षिक वर्षा 30–40 से.मी. तक होती है। बीजों के अंकुरण व जड़ों के विकास के लिए 25 से 300 से. के नीचे तापमान उपयुक्त होता है। ग्वार एक प्रकाश संवेदनशील फसल है। अतः इस फसल में फूल व फलियों का निर्माण केवल खरीफ के मौसम में ही होता है। अत्यधिक बरसात व ठण्ड को यह सहन नहीं कर पाती है। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है परन्तु सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां पर ग्वार की खेती से भरपूर पैदावार ली जा सकती है।

बुवाई हेतु डिस्क हैरो से खेत की जुताई करता किसान

भूमि

ग्वार की खेती के लिए उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। यह फसल सिंचित एवं असिंचित दोनों क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगायी जा सकती है। हल्की क्षारीय व लवणीय भूमि जिसका पी.एच. मान 7.5 से 8.5 तक हो, वहां पर ग्वार की खेती आसानी से की जा सकती है।

खेत की तैयारी

ग्वार की भरपूर पैदावार के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और दो जुताइयां ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगायें जिससे मृदा नमी संरक्षित रहे। जुताई जून के द्वितीय पखवाड़े में करनी चाहिए। इस प्रकार तैयार खेत में खरपतवार कम पनपते हैं। साथ ही वर्षा जल का अधिक संचय होता है।

बुवाई का समय

ग्वार की फसल की बुवाई के लिए जून–जुलाई उपयुक्त समय है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जुलाई में वर्षा आगमन के साथ ही ग्वार की बुवाई कर देनी चाहिए। ग्वार की बुवाई मध्य अगस्त तक की जा सकती है।

बीज की मात्रा

ग्वार के बीज की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस उद्देश्य के लिए उगाया जा रहा है। दाने एवं हरी फलियों के लिए 15 से 18 कि.ग्रा. हरी खाद वाली फसल के लिए 30 से 35 कि.ग्रा. तथा चारे वाली फसल के लिए 35 से 40 कि.ग्रा. बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।

बीजोपचार

बीजों के अच्छे जमाव व फसल को रोगमुक्त रखने के लिए ग्वार के बीजों को सबसे पहले 2.0 ग्राम बाविस्टिन या कैप्टान नामक फफूंदीनाशक दवा से प्रति किलो बीज की दर से अवश्य उपचारित करें। पौधों की जड़ों में गांठों का अधिक निर्माण हो व वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में अधिक यौगिकीकरण हो, इसके लिए बीजों को राइजोबियम जीवाणु के 200 ग्राम के दो पैकेट पर्याप्त होते हैं। किसान भाई ध्यान रखें कि उन्होंने बीज किसी विश्वसनीय संस्था से खरीदा है तो उसे फफूंदीनाशक दवा से उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है। यह बीज पहले से ही उपचारित होता है।

बुवाई की विधि

अधिक पैदावार के लिए ग्वार की बुवाई हमेशा पंक्तियों में करें। बुवाई हल के कूडों में अथवा सीडड्रिल की सहायता से करें। कूडों में पौधों की जड़ों के पास वर्षा जल भी अधिक संग्रहित होता है। इससे पैदावार अधिक मिलती है और फसल की देखभाल करने में भी आसानी रहती है। भरपूर पैदावार हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से.मी. था पौधे से पौधे की दूरी 15 से.मी. आदर्श मानी जाती है। बुवाई के समय भूमि में पर्याप्त नमी

विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त ग्वार की उन्नतशील किस्में

किस्में	पैदावार (क्विं/हे.)	फसल अवधि (दिनों में)	विशेष
दुर्गापुरा सफेद	8–10 (दाना)	110–115	अगेती किस्म, दानों के लिए, बीमारियों के प्रतिरोधी है
एफ.एस.–277	18–20 (दाना) 300–320 (दाना)	125–130	दाना व चारा दोनो के लिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त
अगेती ग्वार–111	20–30 (दाना)	110–115	जल्दी पकने वाली, शाखारहित एवं फलियां गुच्छों में लगती हैं। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के लिए
दुर्गाजय	8–10 (दाना)	110–120	बीमारी की प्रतिरोधी किस्म, एक शाखा वाली, आकर्षित दानों वाली एवं चमकीला बीज
मरू ग्वार	6–8 (दाना)	90–110	पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त, दाना मध्यम आकार व (2470/12) हल्के भूरे रंग का
पूसा मौसमी	30–40 (हरी फलियां)	65–75	फलियां चिकनी, चमकदार, मुलायम व 10 से 12 से.मी. लम्बी होती हैं।
पूसा सदाबहार	40–45 (हरी फलियां)	55–80	बिना शाखाओं वाली, हरी सब्जी के लिए
पूसा नवबहार	55–85 (हरी फलियां)	55–85	हरी फलियों के लिए, लम्बी व अच्छी गुणवत्ता वाली
दुर्गाबहार	75–80 (हरी फलियां)	50–95	शाखारहित फलियां लम्बी, गूच्छेदार, गहरे हरे रंग की और चिकनी होती हैं।
शरद बहार	140–150 (हरी लियां)	70–90	देर से पकने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता 70 दिन बाद हरी फलियां तैयार
आर.जी.सी.–197	10–12 (दाना)	110–120	बिना शाखाओं वाली, सम्पूर्ण भारत के लिए उपयुक्त, मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त
आर.जी.सी.–417	10–14 (दाना)	110–120	राजस्थान के लिए, शाखाओं वाली, पत्तियां खुरदरी, बीज हल्के भूरे रंग के
आर.जी.सी.–986	15–20 (दाना)	110–115	झुलसा रोग के प्रति अवरोधी, नवीनतम किस्म, शाखा वाली, पत्तियां खुरदरी

होनी चाहिए, जिससे बीज का जमाव शीघ्र व पर्याप्त मात्रा में हो सके। बुवाई पूरब–पश्चिम दिशाओं में करें। जिससे सभी पौधों को सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में और लम्बी अवधि तक मिलता रहे। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बुवाई कभी भी छिटकवां विधि से न करें। इसमें समय तो कम लगता है परन्तु उपज काफी कम मिलती है। जिन क्षेत्रों में जल निकास की समस्या रहती है वहां जलभराव होने पर पानी को तुरन्त खेत से बाहर निकाल दें।

उन्नतशील प्रजातियां

ग्वार की उन्नतशील प्रजातियों को मुख्यतः तीन भागों – दाने, चारे व हरी फलियों के रूप में बांटा जा सकता है। कुछ प्रमुख किस्मों का विवरण सारणी में दिया गया है।

खाद एवं उर्वरक प्रबंधन

दलहनी फसल होने के कारण सामान्यतः ग्वार की फसल में उर्वरकों की कम आवश्यकता पड़ती है। ग्वार का बेहतर उत्पादन लेने के लिए 20–25 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 40–45 कि. ग्रा. फास्फोरस, 20 कि.ग्रा. सल्फर की सिफारिश वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। सभी उर्वरक बुवाई के समय या अन्तिम जुताई के समय देने चाहिए। फास्फोरस के प्रयोग से न केवल चारे की उपज में वृद्धि होती है बल्कि उसकी पौष्टिकता भी बढ़ती है। बहुत हल्की मृदाओं में जहां पर मिट्टी की जांच सम्भव न हो,

ग्वार की बुवाई के बाद खेत की मेंड़ बनाता किसान

वहां पर 300–400 कुन्टल गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग खेत में अन्तिम जुताई से पहले समान रूप से बिखेर कर करें। इससे मृदा में नमी का संग्रहण व जीवांश की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलती है।

सिंचाई प्रबंधन

सामान्यतः खरीफ ऋतु में बोयी फसल में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा सामान्य व समय पर न होने पर एक या दो सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। फलियों के लिए उगायी गयी फसल में सिंचाई का विशेष महत्व है। फूल आने और फलियां बनने के समय मृदा में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अन्यथा फलियों की पैदावार व गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शुष्क व अर्ध–शुष्क क्षेत्रों में उगायी जाने वाली ग्वार की फसल में समय पर वर्षा न हो तो आवश्यकनुसार 1–2 सिंचाई देकर किसान भाई अधिक उत्पादन ले सकते हैं।

खरपतवार नियंत्रण

सामान्यतः फसल बुवाई के 10–12 दिन बाद कई तरह के खरपतवार निकल आते हैं जिनमें मौथा, जंगली जूट, जंगली चरी (बरू) व दूब–घास प्रमुख हैं। ये खरपतवार पोषक तत्वों, नमी, सूर्य का प्रकाश व स्थान के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पौधे का विकास व वृद्धि ठीक नहीं हो पाते हैं। अतः ग्वार की फसल में समय–समय पर निराई–गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। इससे पौधे की जड़ों का विकास भी अच्छा होता है जड़ों में वायु संचार भी बढ़ता है। दाने वाली फसल में बेसालिन 10 कि.ग्रा. सक्रिय तत्व प्रति हे. की दर से खेत में बुवाई से पूर्व मृदा की ऊपरी 8 से 10 से.मी. सतह में छिड़काव कर खरपतवारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा पेंडिमिथेलीन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के दो दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए 700 से 800 लीटर पानी में बना घोल एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है।

कीट एवं रोग नियंत्रण

ग्वार की फसल में कीटों की समस्या कम रहती हैं। ग्वार में लगने वाले कीटों में एफिड व केटरपिलर प्रमुख है। एफिड व केटरपिलर की रोकथाम हेतु एण्डोसल्फान 4 प्रतिशत पाउडर की 25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा जहां पानी की सुविधा हो, मिथाइल पैराथियान 50 प्रतिशत 750 मि.ली. प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।

नरेगा के लिए 144 प्रतिशत अधिक धन

नरेगा के अंतर्गत वर्ष 2009–2010 के लिए 39,100 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह बजट अनुमान 2008–09 की तुलना में 144 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। वित्तमंत्री ने लोकसभा में वर्ष 2009–2010 का बजट पेश करते हुए कहा सर्वविदित है कि फरवरी, 2006 से पहली बार कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) बेहद सफल रही है। वर्ष 2008–09 के दौरान, नरेगा द्वारा 2007–08 में शामिल किए गए 3.39 करोड़ परिवारों की तुलना में 4.47 करोड़ से भी अधिक परिवारों को रोजगार अवसर प्रदान किए गए। हम नरेगा के तहत हकदारी के रूप में प्रतिदिन 100 रुपये की वास्तविक मजदूरी देने के लिए वचनबद्ध हैं।

नरेगा के अधीन आस्तियों की उत्पादकता एवं संसाधन बढ़ाने के लिए कृषि, वानिकी, जल–संसाधन, भू–संसाधन और ग्रामीण सड़कों से संबंधित अन्य योजनाओं को एक केन्द्राभिमुख लाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है। पहली अवस्था में ऐसे केन्द्राभिमुख के लिए कुल 115 प्रायोगिक जिलों को चुना गया है। **(पसूका)**

ग्वार की फसल के प्रमुख रोगों में जीवाणुज अंगमारी, ऑल्टरनेरिया पर्ण अंगमारी व ऐन्थ्रेक्नोज है। इनमें जीवाणुज अंगमारी ग्वार में लगने वाली भयंकर बीमारी है। बीमारी के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों की ऊपरी सतह पर बड़े–बड़े धब्बे के रूप में प्रकट होते हैं। ये धब्बे शीघ्र ही सम्पूर्ण पत्तियों को ढक लेते हैं। अन्ततः पत्तियां गिर जाती हैं। इससे बचाव हेतु रोगरोधी किस्में बोएं। बुवाई से पूर्व बीज उपचार अवश्य करें। इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100–125 पी.पी.एम. घोल का प्रयोग करना चाहिए। आल्टरनेरिया पर्ण अंगमारी वर्षा होने के समय फसल को नुकसान पहुंचाती है। यह एक फफूंद जनित बीमारी है। इसमें पक्तियों के किनारों पर गहरे भूरे, गोलाकार व अनियमित आकार के धब्बे बन जाते हैं। परिणामस्वरूप पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और अन्ततः झड़ जातीं हैं। इससे बचाव हेतु डाइथेन जेड–78 का 0.20 प्रतिशत का छिड़काव रोग के लक्षण प्रकट होने पर 15 दिन के अन्तराल पर दो या तीन बार करें। ऐन्थ्रेक्नोज भी एक फफूंदीजनित रोग है। इसमें पौधों के तनों, पर्णवृन्तों और पत्तियों पर काले धब्बे बन जाते हैं। इससे बचाव हेतु डायथेन जेड–78 का 0.20 प्रतिशत का छिड़काव करना चाहिए।

कटाई एवं मड़ाई

सब्जी वाली फसल में फलियों को मुलायम अवस्था में ही हाथों से तोड़ लेना चाहिए। सब्जी वाली फसल में 55 से 70 दिनों बाद फलियां तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। नर्म, कच्ची व हरी फलियों की तुड़ाई 5 दिनों के अन्तराल पर नियमित रूप से करते रहना चाहिए। चारे के लिए बोयी गयी फसल 60 से 80 दिनों में फूल आने के समय या फलियां आने की अवस्था पर कटाई हेतु तैयार हो जाती है। यदि फसल दानों के लिए बोयी गयी है तो पूर्ण रूप से पकने पर ही फसल की कटाई करें। कटाई हंसिये/दरांती की मदद से करके उनको बण्डलों में बांधकर सूखने के लिए धूप में छोड़ दें। इसके 7–10 दिन बाद मंड़ाई कर दानों को अलग कर लेते हैं।

उपज

उन्नत सस्य प्रौद्योगिकियां अपनाकर किसान भाई ग्वार की फसल से 250–300 क्विंटल हरा चारा, 12–18 क्विंटल दाना और 70 से 120 क्विंटल हरी फलियां प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकते हैं।

(लेखक भूतपूर्व कृषि रक्षा अधिकारी हैं।)
ई–मेल : jpmalik @ yahoo.co.in

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले।

आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001

आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

स्वास्थ्य चर्चा

प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन

डॉ. सुनील कुमार खंडेलवाल

सोयाबीन न केवल एक उत्तम स्वास्थ्यवर्धक आहार है अपितु यह बहुत ही पौष्टिक धान्य है। इसमें पौष्टिक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण (कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैगनीशियम, पोटेशियम तथा सोडियम) और विटामिन बी कॉम्पलेक्स आदि प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। सोयाबीन की अद्भुत गुणवत्ता के कारण ही इसे मेजिक सीड यानी जादू का बीज भी कहा जाता है। एक सौ ग्राम सोयाबीन से 432 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सोयाबीन में वसा लेसीथिन नामक सुपाच्य तत्व होता है। यह वसा हृदय रोग में हितकर है और घी व मक्खन के समान रोग प्रतिरोधक है।

सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसीन मैक्स एल. मैर है। यह शिम्बी कुल और सेम जाति का धान्य है। अंग्रेजी और गुजराती में इसे सोयाबीन तथा हिन्दी में सोया, सेवदाना और भटवास आदि नामों से जाना जाता है। सोयाबीन में वसा लेसीथिन नामक सुपाच्य तत्व होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा शरीर इस वसा का 95 से 100 प्रतिशत तक आत्मसात कर लेता है। यह वसा हृदय रोग में हितकर है और घी व मक्खन के समान रोग प्रतिरोधक है। सोयाबीन अपने चमत्कारिक गुणों के कारण एक श्रेष्ठ, आदर्श और निरापद आहार है।

सोयाबीन कुदरत का दिया गया एक ऐसा वरदान है जिसमें प्रोटीन 43.2 प्रतिशत होता है। इसीलिए इसे 'प्रोटीन का राजा' कहा जाता है। सोयाबीन का प्रोटीन सहज सुपाच्य होने से यह बालक, वृद्ध, कमजोर, रुग्ण, गर्भवती और प्रसूता स्त्री के लिए बहुत उपयोगी है। एक सौ ग्राम सोयाबीन में जितनी मात्रा में श्रेष्ठ

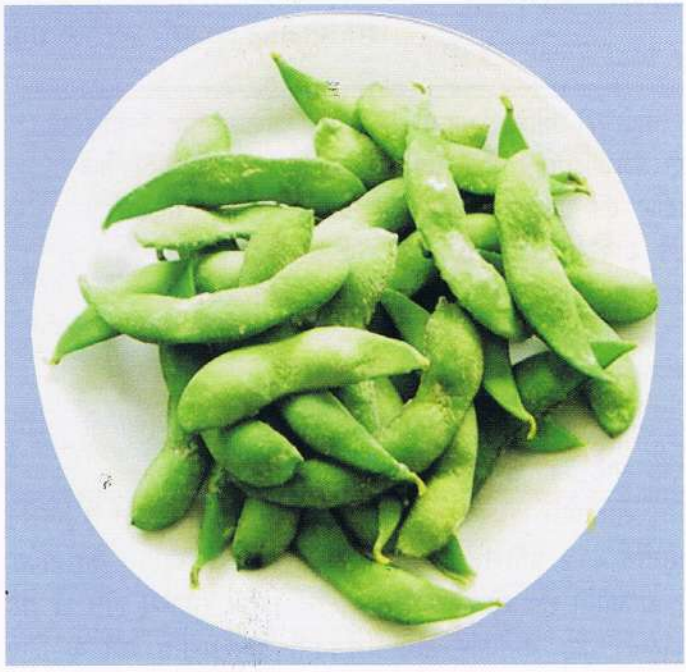

प्रोटीन होता है उतना ही प्रोटीन प्राप्त करने के लिए 200 ग्राम बादाम या 200 ग्राम पिश्ते की गिरी या 200 से 300 ग्राम गेहूं या अन्य अन्न एवं दालों या 600 ग्राम चावल या 1200 ग्राम गाय–भैंस का दूध या 7–8 अंडे या 300 ग्राम हड्डीरहित मांस की आवश्यकता होती है। दूध, घी, पनीर, और मांस, मछली, अंडे जैसे जैविक प्रोटीन की अपेक्षा सोयाबीन का प्रोटीन अधिक बलवर्द्धक, सुपाच्य, निरापद है और मांस–मछली का विकल्प होने से जीव दया का पोषक है।

सोयाबीन को अन्य खाद्यान्नों में यदि 20 प्रतिशत भी मिला दिया जाए तो रोटी, दाल, साग भाजी आदि की पोषक शक्ति दुगुनी हो जाती है।सोयाबीन का व्यापक रूप से उपयोग रिफाइंड तेल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन से दूध, दही, रोटी, पूड़ी, परांठे, कचोरी, समोसे, चाकलेट, बिस्किट, चटनी, कढ़ी, पकोड़े, दाल, सब्जी, मठरी, सेव, जलेबी, हलवा, बर्फी, गुलाब जामुन, ढोकला, खाखरा आदि अनेक व्यंजन बनाये जाते हैं। सोयाबीन का एक उत्पाद सोया बड़ी हमारे यहां काफी प्रचलित है। अनेक कंपनियां अपने–अपने ब्रांड नाम से सोया वड़ी की मार्केटिंग कर रही हैं।

(सोयाबीन का पोषक मान प्रति 100 ग्राम भार में)

पोषक तत्वों की मात्रा		खनिज एवं विटामिन	
नमी	8.1 प्रतिशत	कैल्शियम	240 मि.ग्रा.
कार्बोहाइड्रेट	20.9 प्रतिशत	फॉस्फोरस	690 मि.ग्रा.
प्रोटीन	43.2 प्रतिशत	आयरन	10.4 मि.ग्रा.
वसा	19.5 प्रतिशत	केरोटिन	426
माइक्रोग्राम			
खनिज लवण	4.6 प्रतिशत	थायमिन	0.73 मि.ग्रा.
रेशा	3.7 प्रतिशत	राइबोफ्लेविन	0.39 मि.ग्रा.
ऊर्जा	432 किलो कैलोरी	फोलिक अम्ल	100 माइक्रोग्राम

सोयाबीन दूधः सोयाबीन को भिगोकर, पीसकर तथा उबालकर दूध बनाया जाता है जो गाय के दूध के जैसा ही गुणकारी होता है। सोयाबीन का दूध काफी पोषक गुणों वाला तथा अत्यंत सस्ता होता है। इस दूध में 35 से 100 प्रतिशत तक पाच्य प्रोटीन रहता है। जिन बच्चों को गाय या भैंस का दूध नहीं पचता, उनके लिए सोयाबीन का दूध वरदान से कम नहीं है।

सोयाबीन दूध में शरीर के लिए आवश्यक कुछ पोषक तत्व गाय के दूध से भी ज्यादा होते हैं। गाय के दूध में प्रोटीन 3.3 प्रतिशत, लोहा 0.2 मिलीग्राम, विटामिन नायसिन 0.1 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में रहता है, जबकि सोयाबीन दूध में प्रोटीन 4.2 प्रतिशत लोहा 1.2 मिलीग्राम विटामिन नायसिन 0.4 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाया जाता हैं।

सोयाबीन का औषधीय महत्वः पौष्टिक तत्वों से भरपूर सोयाबीन में विभिन्न प्रकार की खतरनाक बीमारियों जैसे – हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह तथा बांझपन आदि से लड़ने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

हृदय रोगः वर्तमान में ज्यादातर लोगों की मौत अन्य रोगों की अपेक्षा हृदय रोगों से हो रही है। हृदय रोग का सीधा संबंध हमारे खानपान और रहन–सहन से होता है। जब बच्चा पैदा होता है, तो उस वक्त उसके शरीर के अन्दर की रक्त धमनियां पूरी तरह से साफ, स्वस्थ और लचीली होती हैं। हृदय के द्वारा ही इन रक्त धमनियों के जरिये पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। अगर धमनियां साफ और स्वस्थ रहती हैं तो हृदय का काम सुचारु रू प से चलता रहता है, अन्यथा हम हृदय रोग की चपेट में आ जाते हैं।

हृदय रोग से होने वाली मौतें एथरोक्लेरोसिस के कारण होती हैं। धमनियों में रुकावट होने के कारण एथरोक्लेरोसिस का खतरा पैदा होता है। जब रक्त में कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है तो एथरोक्लेरोसिस की आशंका भी बढ़ जाती है। सोयाबीन में बादाम, पनीर, मूंगफली के मुकाबले करीब आधी वसा पायी जाती है। इसकी वसा बहुत अच्छी किस्म की होती है क्योंकि इसमें 85 प्रतिशत असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, जो हृदय रोगियों के लिए

उत्तम रहते हैं। इसकी वसा में लेसीथीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं, यकृत तथा हृदय की नलियों के लिए जरूरी है। यह हृदय की नलियों में कोलेस्ट्रोल को जमने से रोकता है। अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि सोयाबीन शरीर के लिए हानिकारक कोलेस्ट्रोल की मात्रा को कम करने में बहुत प्रभावकारी है।

कैंसर से बचाव: सोयाबीन में फाइटोस्ट्रोजेन्स नामक हार्मोन पाया जाता है, जोकि प्रोस्टेट और स्तन कैंसर की रोकथाम में बहुत कारगर होता है। इसके अलावा सोयाबीन में बहुत प्रभावशाली कैंसररोधी तत्व जेनेस्टीन भी पाया जाता है। यह तत्व हमारे शरीर में कैंसर की नई गांठों को पनपने से रोकने के साथ–साथ गांठों के इर्द–गिर्द रक्त वाहिकाओं को भी पनपने से रोकता है। जेनेस्टीन तत्व कैंसर की हर अवस्था में उसकी जड़ों तक पहुंचकर उसे बढ़ने से रोकता है।

मधुमेह: सोयाबीन रक्त में उत्पन्न विकारों की सफाई कर रक्त शर्करा के स्तर का संतुलन बनाए रखता है। सोयाबीन में पाये जाने वाले अमीनो अम्ल ग्लायसीन और आरजीनीन इन्सुलिन को कम करते हैं। सोयाबीन में शर्करा स्टार्च की मात्रा नगण्य रहने से यह मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है।

बुढ़ापारोधी: सोयाबीन जैसा पुष्टिकारक अन्य कोई धान्य नहीं है। इसके नियमित सेवन से शरीर को यौवन और पौरुष प्रदान करके बुढ़ापे को दूर रखा जा सकता है। सोयाबीन बढ़ती उम्र के साथ हमारी जो कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं, उसे रोकने में सहायक होता है। सोयाबीन प्रोटीन की यह विशेषता होती है कि शरीर के वांछित तत्वों को बाहर नहीं निकलने देता है और कोशिकाओं की उम्र को बढ़ाता है। दैनिक आहार में सोयाबीन तेल का उपयोग बुढ़ापे को दूर रखता है।

बांझपन: शरीर में लम्बे समय तक विटामिन ई की कमी से पुरुष एवं महिला दोनों में बांझपन आ जाता है। सोयाबीन तेल

विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। 100 ग्राम सोयाबीन तेल में 118 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। अतः सोयाबीन तेल के नियमित सेवन से शरीर में विटामिन ई की कमी नहीं हो पाती है।

यह एक सस्ता खाद्य पदार्थ है जो शरीर के अंग–प्रत्यंग को स्वस्थ और सबल रखता है। इसका प्रभाव पूरे शरीर पर बहुत अच्छा पड़ता है। जिन बच्चों का शरीर ठीक से विकसित नहीं होता है, उनके लिए तो यह बहुत ही कारगर है। इसके सेवन से बच्चों के शरीर में स्वस्थ कोष बनते हैं, दिमाग के ज्ञान तन्तु बलवान होते हैं और उनकी देह सुन्दर एवं सुडौल बनती है। यही एकमात्र ऐसा अनाज है जोकि बच्चों, खिलाड़ियों, दौड़ लगाने वालों, परिश्रम करने वाले मजदूरों, व्यापारियों और दिमागी काम करने वालों को उच्च किस्म की प्रोटीन और ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में प्रदान कर शरीर को पुष्ट और बलवान बनाता है।

(लेखक महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में वरिष्ठ तकनीकी सहायक हैं)
ई–मेल : khandelwalsk19@yahoo.com

इंदिरा आवास योजना के लिए 8800 करोड़ रुपये

वित्तमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में वर्ष 2009–2010 का बजट पेश करते कहा कि इंदिरा आवास योजना के लिए बजट अनुमान 2009–10 में आबंटन को 63 प्रतिशत बढ़ाकर 8800 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण आवास निर्माण की गति में तेजी लाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने में आयी कमी से राष्ट्रीय आवास बैंक में ग्रामीण आवास निधि के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि आंबटित करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह ग्रामीण आवास के क्षेत्र में राष्ट्रीय आवास बोर्ड के संसाधन आधार को उनके पुनर्वित्तपोषण कार्यों के लिए मजबूती प्रदान करेगा। **(पसूका)**

ग्राम पंचायत बूढ़वाल की बदली तस्वीर

सफलता की कहानी

डॉ. ब्रह्मप्रकाश यादव

तीन वर्ष पूर्व रात को गांव अंधेरे में रहता था। टेलीफोन करने भी बहरोड़ ही जाना पड़ता था। परन्तु वर्ष 2005 में शुरू किया गया "भारत निर्माण कार्यक्रम" एवं "राजीव गांधी विद्युतीकरण कार्यक्रम" के माध्यम से इस पंचायत में तेजी से विकास हुआ है। ग्राम डवानी में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किया गया है और अब प्रत्येक घर में बिजली का कनेक्शन कर दिया गया है। अब यहां एक फेस बिजली 18 घंटे उपलब्ध रहती है जिससे ग्रामीण टी.वी., फ्रिज, पंखा, कूलर, कम्प्यूटर इत्यादि का भी उपयोग कर रहे हैं।

राजस्थान के पूर्वी सिंह द्वारा अलवर जिले के बहरोड़ उपखण्ड में स्थित ग्राम पंचायत बूढ़वाल विकास की ओर निरन्तर उन्मुख है। "राँठ क्षेत्र" के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र में हरियाणा एवं राजस्थान की मिश्रित संस्कृति है। वर्ष 2000 के चुनावों के बाद गांव में विकास कार्य दिखाई देने लगे हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि पहले मालूम ही नहीं पड़ता था कि पंचायत में किस काम से कितना रुपया आ रहा है, परन्तु अब तो जहां कार्य होता है वहां उसका पूरा विवरण दीवार पर लिखा जाता है। पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता दिखने लगी है। वर्ष 2000 में श्रीमती कृष्णा यादव के पहली बार महिला सरपंच निर्वाचित होने से विकास कार्यों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। महिला सरपंच ने स्वच्छता की तरफ अधिक ध्यान दिया। रास्तों में जगह–जगह गन्दा पानी एकत्रित होता था इसलिए उन्होंने पंचायत के सभी गांवों में आम रास्तों पर सी.सी. सड़क बनवा दी है तथा पानी निकासी हेतु नालियों का निर्माण करवाया है जिससे गांववासियों को पिछले कुछ वर्षों से मलेरिया से तो छुटकारा ही मिल गया है।

ग्राम पंचायत की संरचना

पंचायत बूढ़वाल राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के नजदीक स्थित है। यह बहरोड़ पंचायत समिति से पक्की सड़क से जुड़ी है। इस

पंचायत में तीन अन्य गांव–भूपखेड़ा, मिलकपुर, ड़वानी हैं। भारत का स्वरूप बदल रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी गांवों को शहर एवं पंचायत से पक्की सड़क से जोड़ दिया है। पंचायत में कुल 4550 मतदाता हैं। यह पंचायत कुल 13 वार्डों में बंटी है। पंचायत में अधिकतर यादव हैं, इसके अलावा 40 घर धानक, 20 घर जोगी, कुछ हरिजन, ब्राह्मण एवं नाई जाति के लोग हैं। यादवों की बाहुल्यता एवं एकता के कारण पंचायत में यादव सरपंच ही निर्वाचित होता रहा है। यहां शादी–विवाह में बारात ठहरने का प्रचलन बंद हो गया है। बारात पहुंचने के 3–4 घंटे बाद वापस लौट जाती है। गांव भूपखेड़ा में श्री सीताराम जी का भव्य मंदिर है। मंदिर के नाम 20 बीघा पक्की जमीन है, जो बोली लगाकर कृषि हेतु दी जाती है। उससे प्राप्त धनराशि को गांव के विकास कार्यों में खर्च किया जाता है। मंदिर एवं गांव के विकास में श्रीराम सैनिक ने समाज सेवक के रूप में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। "काठ नवै पर राठ ना नवै" यहां की लोकप्रिय कहावत है। गांव में उपस्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत भवन व डाकघर भी हैं। पंचायत में 8 आंगनबाड़ी केन्द्र पक्के मकानों में संचालित हैं।

पेयजल व्यवस्था

पेयजल व्यवस्था हेतु एक समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष प्रमुख समाजसेवी श्रीराम सैनिक हैं। पंचायत में करीब 15 हैंडपम्प थे जो खराब हो चुके हैं। मिलकपुर में सरकारी पानी की टंकी से जल आपूर्ति होती है। बूढ़वाल व भूपखेड़ा गांव में "स्वजलधारा योजना" से 13–13 लाख रुपये दो वर्ष पूर्व ही प्राप्त हुए हैं। सरकारी बोरिंग एवं पाइप बिछाने का कार्य हो गया है और अधिकतर घरों में कनेक्शन देकर पानी सप्लाई शुरू कर दिया है। परन्तु टंकी निर्माण का कार्य ठेकेदार भरोसे अब भी अटका हुआ है। इसके अलावा निजी बोरिंग से 100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पानी सप्लाई किया जाता है।

शिक्षा सुविधाएं

गांव में बारहवीं तक स्कूल है। लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्कूल अलग है। गांव में दसवीं तक निजी विद्यालय भी है। अब स्कूलों में निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं तथा दोपहर का भोजन भी बच्चों को दिया जाता है। मेरे प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर गांव में बहरोड़ के अलग–अलग निजी विद्यालयों की 6 बसें बच्चों को प्रतिदिन लाती–ले–जाती है जो समाज के ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं। बी.एड. महाविद्यालय भी गांव में इस वर्ष से शुरू हो गया है। गांव में बनी पक्की सड़क से ही शिक्षा का स्तर इतनी शीघ्रता से बढ़ा है।

विद्युत एवं दूरसंचार व्यवस्था

तीन वर्ष पूर्व रात को गांव अंधेरे में रहता था। टेलीफोन करने भी बहरोड़ ही जाना पड़ता था। परन्तु वर्ष 2005 में शुरू किया गया "भारत निर्माण कार्यक्रम" एवं "राजीव गांधी विद्युतीकरण कार्यक्रम के माध्यम से इस पंचायत में तेजी से विकास हुआ है। ग्राम डवानी में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किया गया है और अब प्रत्येक घर में बिजली का कनेक्शन दिया गया है। अब यहां एक फेस बिजली 18 घंटे उपलब्ध रहती है जिससे ग्रामीण विद्युत संसाधनों टी.वी., फ्रिज, पंखा, कूलर, कम्प्यूटर इत्यादि का भी उपयोग कर रहे हैं।

दूरसंचार के क्षेत्र में जिला अत्यधिक आगे है। यहां बी.एस.एन.एल., एयरटेल, टाटा इंडिकॉम, रिलायंस, रेनबो, हच व वोडाफोन इत्यादि के टावर 1–2 किमी. के दायरे में ही बने हुए हैं। यहां लगभग 100 प्रतिशत घरों में टेलीफोन या मोबाइल हैं। गांव भूपखेड़ा का युवा किसान रत्नसिंह 2–3 वर्ष से टमाटर की फसल उपजा रहा है। उसका कहना है कि मैं कोई रोग की शिकायत होने पर मोबाइल से फोन करके कृषि

पर्यवेक्षक को यहां बुलवा लेता हूं या बाड़ी में बैठा ही उचित परामर्श ले लेता हूं। मण्डी का भाव भी फोन से मालूम कर लेता हूं।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

नरेगा योजना ग्रामीण विकास एवं भूखे को रोटी देने की एक महत्वपूर्ण योजना साबित हो रही है। इस योजना से दो कच्ची सड़क बनी हैं जिनकी लागत 5 लाख रुपये आई है। 6 ईंट खुरा निर्माण व नालियां बनाई गई हैं जिनमें 12 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इस योजना में 50–60 मजदूर रोजाना कार्य कर रहे हैं। एक सहायक ग्राम सचिव लगाया गया है। श्रमिकों को 100 रु. प्रतिदिन मानदेय दिया जाता है जो डाकघर में उनके खाते में जमा हो जाता है। मजदूरों के लिए दवाई एवं पानी की व्यवस्था भी वहां की जाती है। यह योजना महिलाओं को सम्बल बनाने में कारगर सिद्ध हुई है। समाजसेवी श्रीराम सैनिक ने योजना की जानकारी देने के लिए घर–घर जाकर अलख जगाने का कार्य किया है।

गैर–सरकारी संगठन

पहले कोई एनजीओ इस क्षेत्र में कार्यरत नहीं था। अब लगभग 5 वर्ष से 'ह्यूमन पीपल टू पीपल इण्डिया" नामक संगठन क्षेत्र में गरीब बच्चों को शिक्षा एवं अन्य सहायता प्रदान कर रहा है। इसमें लगभग 90 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर कार्य कर रहे हैं। ये लड़के ईंट–भट्टों एवं कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चों को उनकी झोपड़ी में जाकर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। पोलियो दवा पिलाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण एवं एड्स जैसी महामारी से बचने के उपाय बताते हैं।

ग्रामसभा की बैठकें

ग्रामसभा की बैठकें नियमित होती हैं। इसमें सरपंच, वार्ड पंच, सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं गांव के वयस्क नागरिक होते हैं। जब लोगों का स्वार्थ होता है तो 300–400 लोग एकत्रित हो जाते हैं वरना सामान्यतया 70–80 लोग ही ग्रामसभा में आते हैं। ग्रामसभा में गांव के विकास कार्यों के प्रस्ताव लिए जाते हैं। बी.पी.एल. परिवारों का चयन किया जाता है। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाता है।

वार्ड पंच रतीराम यादव बताते हैं कि गत 5 वर्षों में विधायक व सांसद कोष, व अकाल राहत से 20 लाख रुपये के सड़क व ईंट खुरा निर्माण के कार्य पंचायत में हुए हैं। इंदिरा आवास योजना से 5 लोगों को लगभग एक लाख रुपये की सहायता दी गई है। सरपंच शिवनारायण यादव, वार्ड पंच एवं समाज सेवक श्रीराम सैनिक मिलकर जनसहयोग लेकर गांव का विकास करने में लगे हुए हैं। ग्रामसभा में जनता की अधिकतम सहभागिता बढ़ाकर ही गांव का विकास संभव हुआ है।

(लेखक बहरोड़ अलवर में प्राइवेट विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता हैं।)

हमारे आगामी अंक

सितम्बर, 2009– खाद्य सुरक्षा।

अक्टूबर, 2009– ग्रामीण अर्थव्यवस्था–विकास की नई शक्ति (विशेषांक)।

नवम्बर, 2009– ग्रामीण ऋण व्यवस्था।

दिसम्बर, 2009– नरेगा–नए कदम, विषयों पर आधारित होंगे।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार व स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से तीस दिन पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री कम से कम 45 दिन पूर्व हमें मिल जानी चाहिए।

तेरह भारतीय भाषाओं में हमारी पुस्तकें

क्षेत्रीय सुगंध से महकता गुलदस्ता

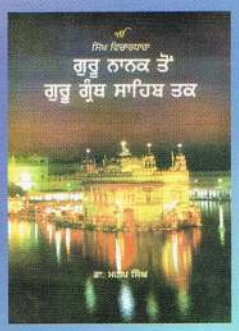

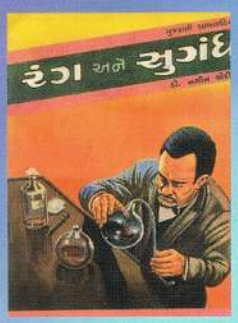

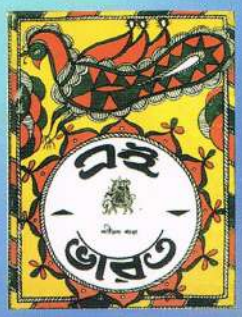

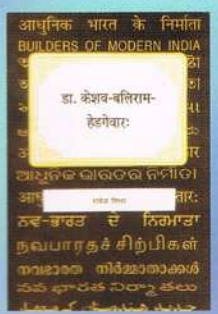

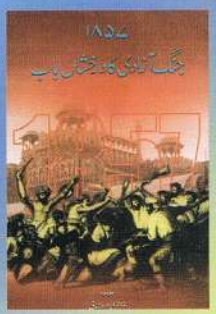

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

विक्रय केंद्रः सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, **नई दिल्ली**–110 003. हाल नं0 196, पुराना सचिवालय, **दिल्ली**–110 054. सी–701, केंद्रीय सदन, बेलापुर, **नवी मुंबई**–400 614. 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, **कोलकाता**–700 069. राजाजी भवन, एफ एंड जी ब्लॉक, 'ए' विंग बेसेंट नगर, **चेन्नई**–600 090. बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, **पटना**–800 004. प्रेस रोड, निकट गवर्मेंट प्रेस **तिरुअनंतपुरम**–695 001. हाल नं.1, दूसरी मंजिल, केंद्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, **लखनउ**–226 024. ब्लॉक नं. 4, गृहकल्प कॉम्प्लेक्स, एम.जे. रोड, नामपल्ली, **हैदराबाद**–500 001. प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, **बंगलौर**–560 034. अम्बिका कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, पालदी, **अहमदाबाद**–380 007. हाउस नं. 07, न्यू कालोनी, चेनीकुथी, के.के.बी. रोड, **गुवाहाटी**–781 003.

ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें – www.publicationsdivision.nic.in
e-mail:dpd@sb.nic.in, dpd@hub.nic.in

आर. एन./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05/3164/2009–11
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–55/2006–08

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2009-11
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2006-08
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : वीना जैन, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना